श्री भीमा काली जी सराहन एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.01.2011 से 31.12.2013

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (c) (ii) के अन्तर्गत एवं वित्तायुक्त एवं सचिव (एल0ए0सी0) हिमाचल प्रदेश सरकार की विज्ञपति संख्याः भाषा (ए) (3)/85–पार्ट–II, दिनाँक 17.01.89 के अनुसार हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं एवं पूर्व विनियासों के अंकेक्षण का दायित्व परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, श्री भीमा काली जी एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास रामपुर बुशैहर, के अवधि 01.01.2011 से 31.12.2013 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान मन्दिर न्यास में निम्नविवरणानुसार मन्दिर आयुक्त एवं सहायक आयुक्त कार्यरत्त रहेः–

क्रमाँक	आयुक्त	कार्यकाल	उपाध्यक्ष	कार्यकाल
1	श्री जे0एस0 राणा	30.05.09 से 29.01.11	श्री राणा प्रीतपाल सिंह	19.08.10 से 30.09.11
2	श्री ओंकार शर्मा	29.01.11 से 28.04.12	श्री मोहर सिंह चौहान	12.10.11 से 31.05.12
3	श्री मनीष गर्ग	28.04.12 से 31.05.12	श्री केवल राम सैहजल	18.06.12 से 14.01.13
4	श्री अरूण शर्मा	01.06.12 से 23.10.12	श्री दलीप कुमार नेगी	14.01.13 से 31.12.13
5	श्री सुभाशीष पांडा	24.10.12 से 03.01.13		
6	श्री दिनेश मल्होत्रा	03.01.13 से 31.12.13		

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के पैरों उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति **परिशिष्ट "A"** में दर्शाई गई है।

(घ) श्री भीमा काली जी एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2011 से 31.12.2013 में समाविष्ट मुख्य पैरों का सारः–

क्रमाँक	पैरा सं0	संक्षिप्त विवरण	राशि
1	5 (ख)	दिनाँक 31.12.13 तक सावधि योजना में निवेशित राशि का लेखाँकन रोकड़ बही में किया जाना	208.99
2	5 (ग)	सावधि योजना में निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज से बैंक द्वारा टी0डी0एस0 (आयकर) की गई कटौती को लम्बी अवधि के बाद भी आयकर विभाग से प्राप्त न करने बारे	2.12
3	8	विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्रदान की गई अग्रिम राशि को लम्बी अवधि के बाद भी समायोजित न किए जाने बारे	2.04
4	10	लम्बित किराए की राशि की वसूली न किए जाने बारे	16.05
5	11	किरायेदारों द्वारा किराये से टी0डी0एस0 (आयकर) के रूप में कटौती की गई राशि को लम्बी अवधि के बाद भी आयकर विभाग से प्राप्त न करना	13.52
6	12	आयकर विभाग से प्राप्त टी0डी0एस0 की राशि में से को मै0 दीपक एग्रो केमिकल, रामपुर को भुगतान करना	0.89
7	17	मन्दिर न्यास द्वारा अनियमित ढ़ंग से House Tax की राशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में	8.49
8	18	विज्ञापनों पर राशि का अनुचित एवं अनुपयोगी व्यय करना	2.05
9	22 (ग)	आंबटित रेट से अधिक दर से भुगतान करने कारण संविदाकार को राशि का अधिक भुगतान करना	0.52
10	23 (क)	गलत दरों से भुगतान किए जाने के कारण संविदाकार को राशि का अधिक भुगतान करना	3.23
11	25	श्री विनोद कुमार संविदाकार को राशि का Advance प्रदान करके अनुचित लाभ देने बारे तथा दिए Advance की राशि का लेखाँकन सम्बन्धित माप पुस्तिका में न किया जाना	5.05
12	28	ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों से श्रम कर की राशि की कटौती न किए जाने बारे	0.58
13	29	ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों से बिक्री कर की राशि की कटौती न किए जाने बारे	1.17

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

मन्दिर न्यास के अवधि 01.01.2011 से 31.12.2013 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, श्री अनिल शर्मा अनुभाग अधिकारी (ले0प0) तथा श्री रविन्दर सिंह अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनाँक 06.09.2014 से 17.10.2014 के दौरान मन्दिर न्यास कार्यालय रामपुर बुशैहर में किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 08/2011, 06/2012, 11/2013 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 02/2011, 12/2012, 06/2013 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

"इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाने पर पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

मन्दिर न्यास के अवधि 01/2011 से 12/2013 के लेखाओं के वर्तमान अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹32400/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–09 को रेखाँकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्या 178/2014 दिनाँक 17.10.2014 द्वारा मन्दिर न्यास से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत न्यास के अवधि 01.01.2011 से 31.12.2013 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थीः–

	Financial Position of Temple Trust					
Year	**Opening Balance**	**Total Receipt**	**Interest (Saving)**	**Total**	**Total Expenditure**	**Closing Balance**
2011	3056337.64	13926948.00	249911.00	17233196.64	11964183.00	5269013.64
2012	5269013.64	16244991.43	166442.00	21680447.07	18211289.00	3469158.07
2013	3469158.07	15014102.00	124364.00	18607624.07	13451134.00	5156490.07

Bank Reconcilation Statement		
Balance as per Cash Book on dated 31.12.13		**5156490.07**
Add: Direct Deposit into the Bank (Entered in Cash Book Page No. 49 on Dt. 01.01.2014)		
UCO Bank Rampur Bank Account 1543010000001	22500	
HP State Cooperative Rampur Bank Account No. 43110103428	9180	31680.00
Add: Interest Credited by the Bank on Dt. 31.12.13 but entered in Cash Book Page No. 49 on Dt. 01.01.2014		
State Bank India Saharan Account No. 11565957374	6107	
State Bank India Saharan Account No. 11565957205	6825	
State Bank India Rampur Account No. 30785092122	21218	34150.00
Add: Cheque No. 802683 issued but not presented for payment up to 31.12.13 (Presented for payment on Dt. 06.02.2014)		5000.00
Balance as per Bank Accounts		**5227320.07**
Detail of Balance as per Bank Accounts		
HP State Cooperative Rampur Bank Account No. 43110103428		2361507.49
HP State Cooperative Saharan Bank Account No. 43410100001		361640.00
State Bank of India Saharan Account No. 11565957374		271396.10
State Bank of India Saharan Account No. 11565957205		181840.05
State Bank of India Rampur Account No. 30785092122		1144460.45
UCO Bank Rampur Bank Account 1543010000001		343555.00
Dena Bank Rampur Bank Account 133810031008		549710.00
HDFC Bank Rampur Bank Account 08051450000055		13210.98
Total		**5227320.07**

5 **सावधि निवेशः—**

(क) मन्दिर न्यास द्वारा सावधि योजना में निवेशित राशि का पूर्ण विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया था।

(ख) दिनाँक 31.12.13 तक सावधि योजना में निवेशित ₹20899759/— का लेखाँकन रोकड़ बही में न किया जानाः—

मन्दिर न्यास द्वारा दिनाँक 31.12.13 तक सावधि जमा में निवेशित ₹20899759/— की पड़ताल करने पर पाया गया कि निवेशित राशि का लेखाँकन रोकड़ बही में नहीं किया गया था। रोकड़ बही में सावधि निवेश का लेखाँकन न करना एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि सावधि निवेश में जमा राशि का लेखाँकन न किए जाने से संस्था की वित्तीय स्थिति संस्था की

वास्तविक स्थिति परिलक्षित नहीं करती है तथा लेखाँकन सिद्धान्तों के भी विरूद्ध है। अतः सावधि जमा योजना में निवेशित राशि को परिपक्वता तिथि पर आहरित/पुनः निवेश करके रोकड़ बही में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

(ग) सावधि योजना में निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज में से बैंक द्वारा टी0डी0एस0 (आयकर) के रूप में की गई कटौती की ₹212852/– को लम्बी अवधि के बाद भी आयकर विभाग से प्राप्त न करने बारेः–

सावधि निवेश से सम्बन्धित रजिस्टर/अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न बैंकों द्वारा सावधि निवेश पर अर्जित ब्याज की राशि में से दिनाँक 31.12.13 तक निम्नविवरणानुसार टी0डी0एस0 (आयकर) के रूप में ₹212852/– की कटौती की गई थी। अंकेक्षण के दौरान पड़ताल करने पर यह भी ज्ञात हुआ है कि न्यास द्वारा इस राशि को दिनाँक 31.12.2013 तक आयकर विभाग से प्राप्त नहीं किया गया था और न ही इस राशि को प्राप्त करने हेतु आयकर विभाग से कोई पत्राचार किया गया था। अतः उक्त प्रकरण में विभागीय स्तर पर आवश्यक जाँच की जाए तथा अनुपालना को आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

	बैंकों द्वारा सावधि निवेश पर अर्जित ब्याज की राशि पर कटौती किए गए टी0डी0एस0 (आयकर) का विवरण								
Sr. No.	**Name of Bank**	**F.D.R. Account**	**Date of investment**	**Amount investment**	**Rated of interest**	**Due date of maturity**	**Maturity Amount**	**Received amount of maturity date**	**TDS deducted by the Bank**
1	SBI	82130	01.09.09 01.09.11 01.09.12 01.09.13	339424 378627 407557 437831	9% 9.25% 9% 9%	01.09.11 01.09.12 01.09.13 01.09.14	383634 414884 445494	378627 407557 437831	5007 7327 7663
2	PNB	408398	25.06.10 25.06.11 25.06.12 26.06.13	235935 250135 271168 293165	6.50% 9.00% 8.75% 9.00%	25.06.11 25.06.12 26.06.13 26.06.14	251649 273418 295685	250135 271168 293165	1514 2250 2520
3	SBI	19747	04.08.10 04.08.11 04.08.12	2000000 2097989 2265224	6% 9.25% 9%	04.08.11 04.08.12 04.08.13	2122727 2298889 2476079	2097989 2265224 2454715	24738 33665 21364
4	Dena Bank (New)	4962005	27.08.11 01.09.11 01.0912	 1000000 1090560	 9.60% 9.25%	 01.09.12 01.09.13	 1099512 1194990	 1090560 1185108	 8952 9882
5	Dena Bank	31016	12.04.12	1300000	9.60%	12.04.13	1429365	1416868	12497
6	SBI	263434	18.08.07	152756	9.50%	18.08.11	2223830	211678	10705
7	SBI	41408	10.0710	188784	6%	10.07.11	200368	197175	3193

			10.07.11 10.07.12	197175 210134	6% 9%	10.07.12 10.07.13	213952 229694	210134 223747	3818 5947
8	SBI	39409	10.07.10 10.07.11 10.07.12	202607 213224 228710	6% 8.25% 9%	10.07.11 10.07.12 10.07.13	215040 231367 249999	213224 228710 245685	1816 2657 4314
9	SBI	78831	25.06.10	180691	6%	25.06.11	191779	189760	2019
10	SBI	991984	17.05.07	292668	9.50%	17.05.11	426067	410220	15847
11	SBI	991985	21.05.07	261949	9.50%	21.05.11	381346	367002	14344
12	SBI	95381	25.06.10	296156	6%	21.05.11	314329	311021	3308
13	SBI	96179	26.06.10	243850	6%	25.06.11	258814	256090	2724
14	SBI	95733	25.06.10	220930	6%	25.06.11	234487	232018	2469
15	SBI	96431	25.06.10	206946	6%	25.06.11	219645	217333	2312
							Total		**₹212852**

6 हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार मन्दिर न्यास की जमा राशि के निर्धारित भाग को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (सीमित) में न रखा जानाः–

वित्त विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः वित्त–आई–एफ (ए)–88/83–11, दिनाँक 15.09.1993 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी विभागों/संस्थाओं द्वारा अपनी जमा धन राशि का कम से कम 60**%** भाग सहकारी बैंक में जमा रखे जाने का प्रावधान किया गया था, परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा दिनाँक 31.12.13 तक कुल जमा राशि में से हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (सीमित) में केवल ₹2723147.49 ही जमा की गई थी जोकि न्यास की कुल जमा कुल केवल 52**%** थी। इस प्रकार उपरोक्त पत्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनदेखी करके 60**%** के स्थान पर 52**%** राशि को ही हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (सीमित) में जमा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही न्यास की राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 सोने एवं चाँदीः–

मन्दिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "ख"** पर प्रमाणित विवरणानुसार सोने, अशुद्ध चाँदी तथा शुद्ध चाँदी की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

(क) सोनाः–

(i) श्री भीमा काली जी एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, (हिमाचल प्रदेश) के सोना चाँदी के भण्डार रजिस्टर के अनुसार दिनाँक 31.12.13 को सोने के स्टॉक की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार थीः–

	श्री भीमाकाली जी मन्दिर सराहन				श्री दुर्गा माता मन्दिर श्रीईकोटी			कुल योग		
वर्ष	विवरण	कि0	ग्राम	मि0ग्रा0	कि0	ग्रा0	मि0ग्रा0	कि0	ग्रा0	मि0ग्रा0
2011	**आरम्भिक शेष**	**03**	**287**	**791**	**03**	**822**	**949**	**07**	**110**	**740**
	वर्ष के दौरान प्राप्ति	00	151	452	00	374	133	–	525	585
	दिनाँक 31.12.11 को अन्तशेष	**03**	**439**	**243**	**04**	**197**	**082**	**07**	**636**	**325**
2012	**आरम्भिक शेष**	**03**	**439**	**243**	**04**	**197**	**082**	**07**	**636**	**325**
	वर्ष के दौरान प्राप्ति	00	100	592	00	290	152	–	390	744
	दिनाँक 31.12.11 को अन्तशेष	**03**	**539**	**835**	**04**	**487**	**234**	**08**	**027**	**069**
2013	**आरम्भिक शेष**	**03**	**539**	**835**	**04**	**487**	**234**	**08**	**027**	**069**
	वर्ष के दौरान प्राप्ति	00	161	195	00	417	185	–	578	380
	दिनाँक 31.12.11 को अन्तशेष	**03**	**701**	**030**	**04**	**904**	**419**	**08**	**605**	**449**
	सराहन व श्राईकोटी का कुल सोना 08 कि0 605 ग्राम 449 मिली ग्राम सराहन खजाने में जमा किया गया ळे									

(ii) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम विन्यास, अधिनियम, 1984 की धारा 12–ए (2) के प्रावधानों को लागू न करनाः–

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 12–A(2)(A)(ii) के प्रावधानानुसार 20**%** सोना भारतीय स्टेट बैंक की गोल्ड बांड स्कीम में निवेश करना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख की जाँच से यह विदित हुआ कि मन्दिर न्यास द्वारा इन प्रावधानों को अमल में नहीं लाया गया था जिसके कारण जहाँ न्यास एक्ट के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा है वहीं इन प्रावधानों को

लागू करने से होने वाली आय से भी एक दशक से भी ज्यादा समय से वंचित होना पड़ रहा है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त प्रावधानों को अविलम्ब लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ख) चाँदीः–

(i) अशुद्ध चाँदीः–

विवरण	श्री भीमाकाली जी मन्दिर सराहन			श्री दुर्गा माता मन्दिर श्रीईकोटी			कुल योग		
	कि0	ग्राम	मि0ग्रा0	कि0	ग्रा0	मि0ग्रा0	कि0	ग्रा0	मि0ग्रा0
Opening Balance as on 01.01.11	25	621	370	21	288	155	46	909	525
दिनाँक 19.05.05 को शुद्धिकरण हेतु जारी की गई अशुद्ध चाँदी की मात्रा 24 किलो 170 ग्राम ली गई थी जबकि वास्तव में अशुद्ध चाँदी की मात्रा 18 किलो 170 ग्राम जारी की गई थी जैसा कि बिल संख्या 902 दिनाँक 27.05.05 से स्पष्ट है। अतः 6 किलो अशुद्ध चाँदी की मात्रा को कुल अशुद्ध चाँदी की मात्रा में शामिल किया गया	3	0	0	3	0	0	6	0	0
योग	**28**	**621**	**370**	**24**	**288**	**155**	**52**	**909**	**525**
वर्ष 2011 के दौरान प्राप्त अशुद्ध चाँदी	4	393	764	4	484	201	8	877	965
दिनाँक 31.12.11 को अन्तिम शेष	**33**	**015**	**134**	**28**	**772**	**356**	**61**	**787**	**490**
वर्ष 2012 के दौरान प्राप्त अशुद्ध चाँदी	2	846	335	3	054	278	5	900	613
दिनाँक 31.12.12 को अन्तिम शेष	**35**	**861**	**469**	**31**	**826**	**634**	**67**	**688**	**103**
वर्ष 2013 के दौरान प्राप्त अशुद्ध चाँदी	3	665	870	3	534	000	7	199	870
योग	**39**	**527**	**339**	**35**	**360**	**634**	**74**	**887**	**973**
दिनाँक 11.07.13 को	34	630	429	000	424	571	035	055	000

श्री लंकड़वीर जी सराहन के मन्दिर के सिंहासन बनाने हेतु जारी की गई अशुद्ध चाँदी की मात्रा									
दिनाँक 31.12.13 को अन्तिम शेष	**04**	**896**	**910**	**34**	**936**	**063**	**039**	**832**	**973**

नोटः—1 39 किलो 832 ग्राम 973 मिली ग्राम अशुद्ध चाँदी सराहन मन्दिर के खजाने में जमा है।

नोटः—2 उपरोक्त के अतिरिक्त चाँदी के सिक्कों की संख्या जो सराहन मन्दिर के खजाने में जमा है :—

(सिक्के 14, सिक्के 0.046 ग्राम, मुहरा ताँबा सहित 400 ग्राम)

(ii) शुद्ध चाँदीः—

विवरण	किलो	ग्राम
दिनाँक 31.12.10 को शेष	**14**	**215**
माईनसः— दिनाँक 27.05.2005 को शुद्धि करण के उपरान्त प्राप्त शुद्ध चाँदी की मात्रा 14 किलो 116 ग्राम ली गई थी जबकि यह मात्रा 11 किलो 296 ग्राम थी जैसा कि बिल संख्या 902 दिनाँक 27.05.05 से स्पष्ट है। अतः दिनाँक 01.01.11 को शुद्ध चाँदी की मात्रा में से अतिरिक्त 2 किलो 820 ग्राम शुद्ध चाँदी को कम किया गया। (14 किलो 116 ग्राम=11 किलो 296 ग्राम=2 किलो 820 ग्राम)	2	820
शुद्ध चाँदी का दिनाँक 01.01.11 को शेष	**11**	**395**
जमाः— श्री लंकड़वीर जी मन्दिर सराहन के रूप में प्राप्त शुद्ध चाँदी	20	133
जमाः— दिनाँक 11.04.12 को शुद्ध चाँदी खजाने में जमा की गई जो की पुराने रणसिंगे जिनका वजन अशुद्ध चाँदी में शामिल नहीं था और जिनका वजन 4 किलो 500 ग्राम था को पुनः तोड़कर व शुद्ध करने के उपरान्त प्राप्त शुद्ध चाँदी को शुद्ध चाँदी के भण्डार जमा किया गया	4	165
जमाः— दिनाँक 11.04.12 को टांके वाली चाँदी जिनका वजन अशुद्ध चाँदी में शामिल नहीं था और जिनका वजन 235 ग्राम था को पिघलाने के उपरान्त प्राप्त शुद्ध चाँदी को खजाने में जमा किया गया		209
दिनाँक 11.04.2012 को पीपी वाली चाँदी जिनका वजन अशुद्ध चाँदी में शामिल नहीं था और जिनका वजन 109 ग्राम था को पिघलाने के उपरान्त प्राप्त शुद्ध चाँदी 081 ग्राम को खजाने में जमा किया गया		081
दिनाँक 31.12.13 को मन्दिर न्यास के पास कुल शुद्ध चाँदी	**35**	**983**
दिनाँक 31.12.13 को मन्दिर न्यास के पास जमा कुल शुद्ध चाँदी का विवरणः—		
	किलो	ग्राम
श्री लंकड़वीर जी सराहन के मन्दिर में सिहांसन की चाँदी 20 किलो 133 ग्राम शुद्ध+चाँदी 01 किलो 836 ग्राम शुद्ध चाँदी भण्डार से दिनाँक 30.07.13 को जारी =कुल योग=21 किलो 969 ग्राम	21	969
रणसिंगों के रूप में 4 किलो 165 ग्राम +2 किलो 763 ग्राम शुद्ध चाँदी भण्डार से दिनाँक 31.01.12 तथा दिनाँक 9.3.12 को जारी=कुल योग 6 किलो 928 ग्राम	06	928
सराहन मन्दिर में पूजा पत्रों के रूप में चाँदी	05	840

शुद्ध चाँदी (Solid) रूप में खजाने में जमा (0.209 ग्राम+0.08 ग्राम+0.956 ग्राम=1 किलो 240 ग्राम)	01	246
कुल	**35**	**983**

नोटः– अंकेक्षण अधियाचना संख्या 166/2014 दिनाँक 30.09.14 के प्रति उत्तर में न्यास अधिकारियों द्वारा पत्र संख्या भी0का01–मास/सोना–चाँदी –1491 दिनाँक 16.10.14 द्वारा सूचित किया गया कि दिनाँक 19.05.05/27.05.05 को शुद्धिकरण हेतु जारी की गई अशुद्ध चाँदी की मात्रा 24 किलो 170 ग्राम ली गई थी जबकि वास्तव में अशुद्ध चाँदी की मात्रा 18 किलो 170 ग्राम जारी की गई थी जैसा कि बिल संख्या 902 दिनाँक 27.05.05 से स्पष्ट है। अतः 6 किलो अशुद्ध चाँदी की मात्रा को कुल अशुद्ध चाँदी की मात्रा में शामिल किया गया। तदानुसार न्यास अधिकारियों द्वारा शुद्ध चाँदी में से अतिरिक्त ली गई मात्रा 2 किलो 820 ग्राम को भी घटाया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त पुराने रणसिंगे की अशुद्ध चाँदी की मात्रा 4कि0 500 ग्राम, टांके वाली अशुद्ध चाँदी की मात्रा 235 ग्राम तथा पी0पी0 वाली अशुद्ध चाँदी की मात्रा 109 ग्राम को पूर्व में चाँदी को वित्तीय में नहीं दर्शाया गया था, परन्तु उपरोक्त के स्थान पर पुराने रनसिंगे की शुद्ध चाँदी की मात्रा 4 किलो 165 ग्राम, टाँके वाली चाँदी की शुद्ध मात्रा 209 ग्राम तथा पीपी वाली शुद्ध चाँदी की मात्रा 81 ग्राम को वर्तमान शुद्ध चाँदी की वित्तीय स्थिति में दर्शाया गया है। अतः पूर्व में उक्त वर्णित अशुद्ध चाँदी की मात्रा तथा शुद्ध चाँदी की मात्रा को गलत दर्शाने तथा न दर्शाने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा न्यास स्तर पर आन्तरिक जाँच करके इस प्रकार की अन्य त्रुटियों का भी संज्ञान लिया जाए तथा वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि वर्तमान में सोने, अशुद्ध चाँदी एवं शुद्ध चाँदी का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन (Annual Physical Verififcation) करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

(iii) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम विन्यास अधिनियम, 1984 की एक्ट की धारा के प्रावधानों को लागू न करनाः–

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवम विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 12–ए (2) (B)(iii) के प्रावधानानुसार 60% चाँदी को सिक्के में ढाल कर श्रद्धालुओं को वर्तमान मूल्य पर विक्रय किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख व सूचना के अवलोकन से विदित हुआ है कि इन प्रावधानों को अमल में नहीं लाया गया था जिसके कारण जहाँ न्यास एक्ट के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा है वहीं इन प्रावधानों को लागू करने से होने वाली आय/लाभों से भी एक दशक से भी ज्यादा समय से वंचित होना

पड़ रहा है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त प्रावधानों को अविलम्ब लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(iv) मन्दिर न्यास के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अशुद्ध चाँदी को शुद्ध करने की प्रक्रिया में 15 किलो 311 ग्राम चाँदी को नष्ट हुआ दर्शाया जानाः–

मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षण को जारी की गई अशुद्ध चाँदी एवं शुद्ध चाँदी की वर्षानुसार स्थिति और स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि अवधि 01.01.11 से 31.12.13 के दौरान विभिन्न अवसरों पर मन्दिर न्यास के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अशुद्ध चाँदी को शुद्ध चाँदी में परिवर्तित किया गया था। इस शुद्धि प्रक्रिया में कुल 15 किलो 311 ग्राम अशुद्ध चाँदी को नष्ट हुआ दर्शाया गया था जोकि निम्नविवरणानुसार कुल जारी अशुद्ध चाँदी का 38.37**%** है।

विवरण	**अशुद्ध चाँदी की जारी की गई मात्रा**	**शुद्ध चाँदी की प्राप्त की गई मात्रा**	**अशुद्ध चाँदी से शुद्ध चाँदी प्राप्त करने के दौरान नष्ट हुई चाँदी**
श्री लंकड़वीर जी मन्दिर सराहन के सिंहासन बनाने हेतु श्री भीमाकाली मन्दिर सराहन और श्री दुर्गा माता मन्दिर श्राई कोटी के चाँदी भण्डार से जारी	35 किलो 055 ग्राम	20 किलो 133ग्राम	14 किलो 922 ग्राम
पुराने रणसिंगे जिनका वजन पूर्व अशुद्ध चाँदी के कुल वजन में शामिल नहीं था	4 किलो 500 ग्राम	4 किलो 165 ग्राम	0.335 ग्राम
टांके वाली अशुद्ध चाँदी जिनका वजन अशुद्ध चाँदी के कुल वजन में शामिल नहीं था	235 ग्राम	209 ग्राम	0.026 ग्राम
पीपी वाली अशुद्ध चाँदी जिनका वजन पूर्व अशुद्ध चाँदी के कुल वजन में शामिल नहीं था	109 ग्राम	081 ग्राम	0.028 ग्राम
कुल योग	**39 किलो 899 ग्राम**	**24 किलो 588 ग्राम**	**15 किलो 311 ग्राम**

अतः शुद्धिकरण की प्रक्रिया में नष्ट हुई उक्त चाँदी की मात्रा को नियमानुसार उचित ठहराया जाए। इसके अतिरिक्त शुद्धि करण की इस प्रक्रिया में खोट/आँशिक घटक मात्रा किसी अन्य धातु के रूप में प्राप्त होना स्वाभाविक थी जोकि गिल्ट अथवा अन्य धातु के रूप में

हो सकती थी। इस प्राप्त धातु, जो किसी भी रूप में हो, को स्टॉक रजिस्टर में तदानुसार दर्शाया जाना अपेक्षित था जोकि नहीं दर्शाया गया है। अतः यह प्रकरण विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता हैं कि उक्त प्रकरण में विभागीय स्तर पर आवश्यक जाँच की जाए तथा परिणाम को आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्रदान की गई अग्रिम ₹204156/– को लम्बी अवधि के बाद भी समायोजित न किए जाने बारेः–

अग्रिम राशियों से सम्बन्धित अभिलेख की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित राशियों का भुगतान विभिन्न प्रयोजनों हेतु अग्रिम के रूप में विभिन्न व्यक्तियों, फर्मों एवं संविदाकारों को किया गया था।

दिनाँक 31.12.2013 को समायोजन के लिए लम्बित अग्रिम का विवरण					
Sr. No.	**Vr. No.**	**Date**	**To whom paid**	**Purpose**	**Amount**
1	260	03.06.1987	Sh. Banwari Lal	For purchase kota stone	10000
2	16	24.04.1987	Sh. Basant Lal	Repair of Dutt Nagar Temple	2500
3	86	05.04.1987	Sh. Banwari Lal	For P/O kota stone	11477
4	97	13.07.1987	Sh. Banwari Lal	For P/O kota stone	10000
5	132	13.08.1987	Sh. Banwari Lal	For P/O kota stone	10000
6	186	13.08.1987	Sh. Banwari Lal	For P/O kota stone	10000
7	230	12.06.1988	Sh. Tara Chand	For wood work	2500
8	232	15.12.2008	Sh. Krishan Kumar	For collection of biroja	20000
9	233	26.12.2008	Sh. Tara Chand	For wood work	2500
10	235	27.01.1989	Sh. Krishan Kumar	For collection of biroja	20000
11	85	03.05.1989	Sh. Jaylal Kapoor	For kota stone	5000
12	64	18.05.1991	Sh. Shayam Lal	For stone work	5279
13	123	28.06.1991	Sh. Shayam Lal	For stone work	2000
14	169	25.05.1994	Sh. Shayam Lal	For building works	1000
15	581	30.11.1994	Sh. sher Singh	Advance (Purpose not known)	2400
16	839	0108.1995	Sh. Kram Chand	Advance (Purpose not known)	500
17	954	03.10.1995	Sh. Manohar Lal	For shuttring work	6000
18	952	03.10.1995	S.D.M. Rampur	For Sliver works	9000
19	117	05.05.1989	Sh. Krishan Kumar	For collection of ciroja	4000
20	118	05.05.1989	Sh. Jaylal Kapoor	For kota stone	1500

21	108	19.10.1986	Sh. Tara Chand	For wood work	500
22	236	22.07.2005	D.L.O. Shimla	For Monograph printed	3000
23	418	21.10.2005	N.S. Printer Dehli	For purchase of calander	40000
24	419	21.10.2005	Sh. Satish Kashyap	For Cassate	5000
25	8	04.10.2006	Jai Nand Pujari	Advance (Purpose not known)	10000
26	520	26.12.2006	S.S. Advocate	For Judicial Case	10000
				Total	**₹204156**

जाँच करने पर यह भी ज्ञात हुआ है कि यह अग्रिम राशियाँ लम्बी अवधि से समायोजन के लिए लम्बित थी। विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्रदान की गई अग्रिम राशियों को लम्बी अवधि तक समायोजित न करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5 में भी आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु फिर भी इन अग्रिम राशियों को समायोजित करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। अतः यह प्रकरण पुनः उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि लम्बी अवधि से समायोजन के लिए शेष अग्रिम राशियों का शीघ्र समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा अग्रिम राशियों की वसूली दण्ड ब्याज सहित करके मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाया जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

9 रोकड़ बही में आय के रूप में लेखाँकिंत ₹999366/– से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

रोकड़ बही और आय से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि न्यास द्वारा रोकड़ बही में निम्नविवरणानुसार ₹999366/– का लेखाँकन किया गया है परन्तु आय के साक्ष्य में अभिलेख अर्थात रसीदों इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार आय के साक्ष्य में अभिलेख/रसीदों इत्यादि के अभाव में रोकड़ बही में लेखाकिंत इस आय की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी। अतः आय के साक्ष्य अभिलेख अर्थात रसीदों इत्यादि के बिना आय को रोकड़ बही में लेखाकिंत करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त भविष्य में प्राप्त आय से सम्बन्धित रसीदों इत्यादि जारी करने के उपरान्त ही रोकड़ बही में आय का लेखाँकन सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

प्राप्त आय का विवरण	दिनाँक	रोकड़ बही पृ0सं0	रोकड़ बही में लेखाकिंत की गई राशि
सराहन रेस्ट हाउस से प्राप्त किराया	08.08.11	89	1050
सराहन रेस्ट हाउस से प्राप्त किराया	08.08.11	89	2000
सराहन रेस्ट हाउस से प्राप्त किराया	08.08.11	89	1000
सराहन रेस्ट हाउस से प्राप्त किराया	08.08.11	90	2800
सराहन रेस्ट हाउस से प्राप्त किराया	08.08.11	99	650
सराहन मन्दिर की कैंटीन का किराया	08.08.11	89	2500
दुकानों के आंबटन से प्राप्त किराया	11.08.11	91	700
दुकानों के आंबटन से प्राप्त किराया	12.08.11	92	1900
दुकानों के आंबटन से प्राप्त किराया	17.08.11	93	4100
दुकानों के आंबटन से प्राप्त किराया	18.08.11	93	2200
दुकानों के आंबटन से प्राप्त किराया	19.08.11	93	3200
दुकानों के आंबटन से प्राप्त किराया	19.08.11	93	6000
दुकानों के आंबटन से प्राप्त किराया	19.08.11	93	2200
अमर उजाला से दुकानों का मासिक किराया	02.11.13	28	3000
यूको बैंक से प्राप्त मासिक किराया	04.11.13	28	25000
LIC से प्राप्त मासिक किराया	05.11.13	29	67608
सराहन मन्दिर में स्थित कैंटीन का किराया	12.11.13	31	2500
देना बैंक से प्राप्त मासिक किराया	12.11.13	31	36000
ICICI बैंक से प्राप्त मासिक किराया	27.11.13	36	26408
यूको बैंक से प्राप्त मासिक किराया	01.06.12	35	22500
देना बैंक से प्राप्त मासिक किराया	01.06.12	35	36000
SBI बैंक से प्राप्त मासिक किराया	05.06.12	37	86922
SBI बैंक से प्राप्त मासिक किराया	05.06.12	37	4500
HDFC बैंक के द्वारा दान	30.06.12	48	511
SBI बैंक (एटीएम) से प्राप्त मासिक किराया	05.04.12	11	4500
SBI बैंक से प्राप्त मासिक किराया	05.04.12	11	86922
देना बैंक से प्राप्त मासिक किराया	05.04.12	11	36000
यूको बैंक से प्राप्त मासिक किराया	06.04.12	12	22500
अमर उजाला से दुकानों का मासिक किराया	18.04.12	16	3000
दान	27.04.12	19	1000
देना बैंक से प्राप्त मासिक किराया	01.05.12	22	36000
सराहन रेस्ट हाउस से प्राप्त किराया	01.05.12	22	350
सराहन रेस्ट हाउस से प्राप्त किराया	01.05.12	22	4150
सराहन रेस्ट हाउस से प्राप्त किराया	01.05.12	22	450
SBI बैंक से प्राप्त मासिक किराया	03.05.12	23	86922

SBI बैंक (एटीएम) से प्राप्त मासिक किराया	03.05.12	23	4500
रामपुर रेस्ट हाउस से प्राप्त किराया	05.05.12	24	1100
दान	05.05.12	24	221
अमर उजाला से दुकानों का मासिक किराया	07.05.12	25	3000
रामपुर रेस्ट हाउस से प्राप्त किराया	10.05.12	26	300
श्री चमन लाल से प्राप्त किराया	11.05.12	26	16000
अमर उजाला से दुकानों का मासिक किराया	13.07.12	55	3000
SBI बैंक (एटीएम) से प्राप्त मासिक किराया	04.08.12	63	4500
SBI बैंक से प्राप्त मासिक किराया	04.08.12	63	86922
अमर उजाला से दुकानों का मासिक किराया	08.08.12	65	3000
LIC से प्राप्त मासिक किराया	08.08.12	65	67608
यूको बैंक से प्राप्त मासिक किराया	14.08.12	66	22500
देना बैंक से प्राप्त मासिक किराया	01.09.12	73	36000
यूको बैंक से प्राप्त मासिक किराया	03.09.12	73	22500
SBI बैंक (एटीएम) से प्राप्त मासिक किराया	05.09.12	75	4500
SBI बैंक से प्राप्त मासिक किराया	05.09.12	75	86922
दिव्य हिमाचल से दुकानों का मासिक किराया	08.09.12	77	2500
दान	04.06.12	36	5100
सराहन रेस्ट हाउस से प्राप्त किराया	19.06.12	42	4150
सराहन रेस्ट हाउस से प्राप्त किराया	19.06.12	42	2000
			₹999366

10 लम्बित किराए की ₹1605709/– की वसूली न किए जाने बारेः–

किराए से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर यह पाया गया कि विभिन्न किरायेदारों से दिनाँक 31.12.2013 तक किराये की ₹1605709/– वसूली हेतु लम्बित थी। इन सभी किरायेदारों से वसूली योग्य राशि पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ग"** पर दिया गया। अतः इन किरायेदारों से शीघ्र अतिशीघ्र किराये की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

11 किरायेदारों द्वारा किराये से टी0डी0एस0 (आयकर) के रूप में कटौती की गई ₹1352186 को लम्बी अवधि के बाद भी आयकर विभाग से प्राप्त न करने बारेः–

किराया माँग एवं संग्रह रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न बैंकों एवं व्यक्तियों द्वारा दिनाँक 31.12.13 तक किराये की राशि पर तय दर से टी0डी0एस0 (आयकर) के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹1352186/– कटौती की गई थी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 157/2014 दिनाँक 22.09.2014 द्वारा आवश्यक जानकारी देने के

लिए निवेदन किया गया था। इस अधियाचना के प्रति उत्तर में उपाध्यक्ष, मन्दिर न्यास द्वारा पत्र संख्या भी0का0/न्यास/इन्कम टैक्स 1487 दिनाँक 30.09.2014 द्वारा सूचित किया गया कि इस सम्बन्ध में आयकर विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। अतः उक्त प्रकरण में विभागीय स्तर पर भी आवश्यक जाँच की जाए तथा अपेक्षित राशि की वसूली करके अनुपालना को आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Date of Allotment	**Year/Period**	**Name of Allotee to whom shop/space allotted**	**Yearly Rent as per agreement**	**Yearly Rent received**	**TDS Deducted up to 31.12.13**
01.06.10	01.06.10 to 31.12.10	L.I.C. India	525840	473256	52584
	2011	L.I.C. India	901440	811296	90144
	2012	L.I.C. India	901440	811296	90144
	2013	L.I.C. India	901440	811296	90144
01.01.09	01.01.09 to 31.12.09	S.B.I. Rampur	1158960	1043044	115896
	2010	S.B.I. Rampur	1158960	1043044	115896
	2011	S.B.I. Rampur	1158960	1043044	115896
	2012	S.B.I. Rampur	1158960	1043044	115896
	2013	S.B.I. Rampur	1158960	1043044	115896
01.07.09	01.07.09 to 31.12.09	S.B.I. Rampur (A.T.M.)	30000	27000	3000
	2010	S.B.I. Rampur (A.T.M.)	60000	54000	6000
	2011	S.B.I. Rampur (A.T.M.)	60000	54000	6000
	2012	S.B.I. Rampur (A.T.M.)	60000	54000	6000
	2013	S.B.I. Rampur (A.T.M.)	60000	54000	6000
01.04.11	01.04.11 to 31.12.11	UCO Bank Rampur (A.T.M.)	54000	48600	5400
	2012	UCO Bank	60000	54000	6000
	2013	UCO Bank	60000	54000	6000
01.06.11	01.05.11 to 31.12.11	UCO Bank Rampur	160000	144000	16000
	2012	UCO Bank	240000	216000	24000
	2013	UCO Bank	240000	216000	24000
01.01.10	01.01.10 to	ICICI Bank	320100	288090	32010

	31.12.10	Rampur			
	2011	ICICI Bank	320100	288090	32010
	2012	ICICI Bank	320100	288090	32010
	2013	ICICI Bank	320100	288090	32010
01.03.11	01.03.11 to 31.12.11	Dena Bank Rampur	400000	360000	40000
	2012	Dena Bank Rampur	480000	432000	48000
	2013	Dena Bank Rampur	480000	432000	48000
01.03.09	01.03.09 to 28.02.10	Amartex Show Room Rampur	954000	876750	77250
		Grand	**13703360**	**12351074**	**1352186**

12 आयकर विभाग से प्राप्त टी0डी0एस0 की राशि में से को मै0 दीपक एग्रो केमिकल, रामपुर को ₹89024/–का भुगतान करने बारेः–

रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 110 दिनाँक 23.09.11 पर "Refund from Income Tax Office for the Assessment Year 2010-11" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹103620/– का लेखाँकन किया गया था जिसे मन्दिर न्यास निधि के बैंक खाता संख्या 3428 में जमा किया गया था। उक्त राशि में दिनाँक 27.08.2011 को वाऊचर संख्या 1405 के अन्तर्गत चैक संख्या 136158 द्वारा ₹89024/– का भुगतान मै0 दीपक एग्रो0 केमिकल, रामपुर को किया गया दर्शाया गया था। इस सन्दर्भ में अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि मै0 दीपक एग्रो0 केमिकल, रामपुर को मन्दिर न्यास की एक दुकान ₹34240/– मासिक किराये से आंबटित की गई थी और उनके द्वारा बिना टी0डी0एस0 कटौती किए मन्दिर न्यास के कार्यालय में किराये का भुगतान किया गया था जैसा कि किराया माँग एवं संग्रह रजिस्टर तथा रोकड़ बही से स्पष्ट होता है। उक्त फर्म द्वारा Assessment Year 2010-11 के दौरान टी0डी0एस0 की ₹6848 तथा Assessment Year 2011-12 के दौरान टी0डी0एस0 की ₹82176/– अपने तौर पर आयकर विभाग के पास जमा करवाई गई थी जैसा कि उक्त फर्म द्वारा जारी किए गए Form No. 16A से स्पष्ट है। तदानुसार आयकर की प्राप्त रिफंड की राशि में से मै0 दीपक एग्रो0 केमिकल, रामपुर को ₹89024/– का भुगतान किया गया है जोकि अनुचित ही नहीं अपितु अनियमित भी है क्योंकि यह आयकर रिफंड Assessement Year 2010-11 की उक्त ₹103620/– का है जैसा कि आयकर रिफंड आर्डर में वर्णित है।

इसके अतिरिक्त आयकर रिफंड आर्डर से यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह रिफंड किस आयकर कटौती से सम्बन्धित था, क्योंकि मन्दिर न्यास की सावधि निवेश पर अर्जित ब्याज, किराये के रूप में अर्जित आय के अतिरिक्त विभिन्न किरायेदारों और बैकों द्वारा भी आयकर की कटौती की जाती है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह आयकर रिफंड दिनाँक 23.09.11 को बैंक खाता संख्या 3428 में जमा किया गया था जबकि मै0 दीपक एग्रो, केमिकल, रामपुर को भुगतान दिनाँक 27.08.11 को किया गया था अर्थात आयकर रिफंड प्राप्त होने से एक माह पूर्व ही मै0 दीपक एग्रो केमिकल को भुगतान किया गया था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 171/2014 दिनाँक 13.10.14 द्वारा न्यास अधिकारियों को इस भुगतान को न्यायोचित ठहराने हेतु लिखा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः यह मामला विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि इस सम्बन्ध में नियमानुसार पूर्ण छानबीन की जाए और मै0 दीपक एग्रो0 कैमिकल, रामपुर को किए गए भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए तथा उक्त राशि की वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

13 पंजाब नैशनल बैंक के (ए0टी0एम0) को स्थापित करने के लिए किराये पर दी गई दुकान के किराये के रूप में ₹9000/– की कम वसूली करनाः–

मन्दिर न्यास द्वारा पंजाब नैशनल बैंक के एटीएम को स्थापित करने पर किराये पर दी गई दुकान से सम्बन्धित किराया माँग एवं संग्रह रजिस्टर और किराया एग्रीमैन्ट की पड़ताल करने पर पाया गया कि उपरोक्त बैंक के एटीएम स्थापित करने हेतु दिनाँक 01.10.07 को दुकान ₹5000/– मासिक किराए की दर से आंबटित की गई थी। किराया एग्रीमैन्ट के अनुसार दुकान आंबटन की तिथि से प्रत्येक पाँच वर्ष के उपरान्त दुकान के किराए में 15% की दर से वृद्धि की जानी अपेक्षित थी। किराया एग्रीमेन्ट की इस शर्त के अनुसार दिनाँक 01.10.12 को किराये में ₹750/– प्रति माह की दर से वृद्धि अपेक्षित थी परन्तु दुकान के किराये में दिनाँक 1.10.12 के स्थान पर दिनाँक 01.10.13 से ही 15% की दर से वृद्धि की गई थी। इस प्रकार एक वर्ष तक दुकान के किराये में वृद्धि न करने से मन्दिर न्यास को (₹750x12=₹9000) की किराये आय की हानि हुई। अतः दिनाँक 01.10.12 के स्थान पर दिनाँक 01.10.13 से किराये वृद्धि करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा पंजाब नैशनल बैंक से दिनाँक 01.10.12 से ही किराये में वृद्धि करके बकाया किराया वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

14 विश्राम गृह व सराय से प्राप्त आय को देरी से जमा करवाए जाने बारेः–

सराहन मन्दिर में स्थित विश्राम गृह व सराय से प्राप्त आय के अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि विश्राम गृह व सराय से विभिन्न कार्य दिवसों में प्राप्त आय को निम्नविवरणानुसार बैंक में देरी से जमा करवाया गया था। अतः भविष्य में प्राप्त आय को प्राप्ति के दिन या अगले कार्यदिवस को बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रसीद संख्या	राशि	राशि प्राप्त करने की अवधि	राशि जमा करने की तिथि
13984 से 16005	10850	02.08.11 से 09.08.11	10.08.11
16028 से 16041	7500	16.08.11 से 19.08.11	20.08.11
16049 से 16075	13350	24.08.11 से 29.08.11	30.08.11

15 श्री भीमाकाली जी मन्दिर न्यास एवं माता श्री श्राई कोटी मन्दिर में स्थापित भेंट पात्रों को लम्बी अवधि के उपरान्त खोले जाने के कारण ब्याज की हानि बारेः–

श्री भीमाकाली जी मन्दिर न्यास एवं श्री श्राई कोटी माता जी के मन्दिर में स्थापित भेंट पात्रों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि इन मन्दिरों में स्थापित भेंट पात्रों को लम्बी अवधि के उपरान्त खोला जा रहा था जिनका विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है, परिणामस्वरूप इन भेंट पात्रों में जमा राशि को देरी से मन्दिर न्यास के बैंक खातों में जमा करवाया जा रहा था जिसके कारण जमा राशि पर ब्याज की हानि हो रही थी। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 9 में भी आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु मन्दिर न्यास इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः यह मामला पुनः विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि न्यास के मन्दिरों में स्थापित भेंट पात्रों को उचित समय अवधि के उपरान्त ही खोला जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भेंट पात्रों में एकत्रित राशि को उचित समय पर बैंक में जमा करवाया जाए जिससे जमा राशि पर ब्याज की हानि से बचा जा सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

श्री भीमाकाली जी मन्दिर सराहन		माता श्री श्राई कोटी मन्दिर, श्राई कोटी	
अवधि	राशि जो भेंट पात्र से प्राप्त की गई	अवधि	राशि जो भेंट पात्र से प्राप्त की गई
03.11.10 से 22.01.11	498947	26.04.10 से 05.04.11	288088
23.01.11 से 07.04.11	417335	06.04.11 से 23.09.11	256266
08.04.11 से 08.06.11	758061	24.09.11 से 09.04.12	283205

09.06.11 से 18.08.11	892887	10.04.12 से 01.09.12	296300
19.08.11 से 24.09.11	210982	02.09.12 से 11.05.13	297274
25.09.11 से 03.11.11	713120	12.05.13 से 19.10.13	406700
04.11.11 से 28.12.11	502824	20.10.13 से 24.04.14	222528
29.12.11 से 19.03.12	455140	**मन्दिर न्यास के अधीन अन्य मन्दिरों के सम्बन्ध में**	
20.03.12 से 18.04.12	600075	03.08.10 से 30.01.14	40857
19.04.12 से 02.06.12	559655		
03.06.12 से 09.07.12	719500		
10.07.12 से 17.09.12	734097		
18.09.12 से 15.10.12	191242		
16.10.12 से 21.11.12	705717		
22.11.12 से 07.03.13	563862		
08.03.13 से 09.04.13	261952		
01.05.13 से 01.06.13	422725		
02.06.13 से 09.07.13	654016		
10.07.13 से 09.09.13	568888		
10.09.13 से 02.10.13	199013		
18.10.13 से 18.12.13	626784		
19.12.13 से 06.02.14	327376		

16 मन्दिर न्यास की आय में वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 के दौरान ₹1517034/– की कमी का पाया जानाः–

मन्दिर न्यास की आय के तुलनात्मक विवरण से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 के दौरान न्यास आय में ₹2318043/– की वृद्धि हुई थी जबकि वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 के दौरान आय में ₹1230889/– की कमी पाई गई, जैसा कि निम्न विवरण से स्पष्ट है। अतः वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 के दौरान आय में पाई गई कमी को न्यायोचित ठहराया जाए तथा यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में मन्दिर न्यास की आय में वृद्धि हेतु विशेष प्रयास किए जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

विवरण	वर्ष 2011	वर्ष 2012	वर्ष 2013
शुद्ध आय	13926948	16244991	15014102
गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी		(+) 2318043	(–) 1230889

17 **मन्दिर न्यास द्वारा अनियमित ढ़ंग से House Tax की ₹849986/– का भुगतान करने के सम्बन्ध में:–**

वाऊचर संख्या 1651, दिनाँक 17.11.11, ₹150000

वाऊचर संख्या 040, दिनाँक 19.04.2012, ₹400000

वाऊचर संख्या 385, दिनाँक 03.09.2012, ₹299986

उपरोक्त वाऊचरों द्वारा मन्दिर न्यास द्वारा Ragunath Complex, Narshingh Complex, Ayodha Nath Complex से सम्बन्धित वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 के House Tax का भुगतान नगर परिषद रामपुर को किया गया, जैसा कि नगर परिषद के House Tax बिल में वर्णित विवरण से स्पष्ट है। इन भुगतानों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि RaguNath Complex, Narsingh Complex, Ayodhya Nath Complex में किराए की दुकानें एवं अन्य व्यापारिक संस्थान है जिन्हें मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न व्यक्तियों, फर्मों को किराए पर दिया गया था तथा जिनका विवरण परिशिष्ट **"घ"** पर दिया गया है। इन सभी दुकानों और अन्य व्यापारिक संस्थानों के किराए के Agreements की जाँच करने पर पाया गया कि इन दुकानों/व्यापारिक संस्थाओं के Rent Agreements के अनुसार किरायेदार ही Municipal Tax एवं अन्य देय करों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगे परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा किराये एग्रीमेन्ट की इस शर्त की अनदेखी करके RaguNath Complex, Narsingh Complex, Ayodhya Nath Complex में स्थित सभी दुकानों एवं व्यापारिक संस्थानों पर देय House Tax का भुगतान स्वयं ही नगर परिषद को किया गया। इस प्रकार किराये के एग्रीमेन्ट की शर्तों की अनदेखी करके मन्दिर न्यास निधि से ₹849986/– के House Tax का अनियमित भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उन सभी किरायेदारों जिनके Rent Agreements के अनुसार House Tax का भुगतान उनके द्वारा किया जाना अपेक्षित था से सम्बन्धित House Tax की गणना करके अपेक्षित House Tax की राशि वसूली करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

18 **विज्ञापनों पर ₹205000/– का अनुचित एवं अनुपयोगी व्यय करनाः–**

श्री भीमाकाली जी मन्दिर न्यास के अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जाँच करने पर यह पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा अवधि 01.01.11 से 31.12.13 के दौरान निम्नविवरणानुसार विभिन्न पत्रिकाओं एवं स्मारिकाओं में विज्ञापनों पर अनावश्यक एवं अनुचित

व्यय किया जा रहा था। अतः विज्ञापनों पर किए गए अनावश्यक एवं अनुचित व्यय को ठोस कारणों सहित न्यायोचित ठहराया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार के अनुचित एवं अनावश्यक व्यय से परिहार किया जाए।

राशि जिसको प्रदान की गई	**वाऊचर संख्या**	**दिनाँक**	**राशि**
DC Office Shimla Festival हेतु	1125	01.06.11	50000
DC Office Shimla Lavi Fair हेतु	1852	01/12	100000
अमर उजाला में विज्ञापन Lavi Fair हेतु	1862	14.01.12	5000
DC Office Shimla Festival हेतु	188	18.05.12	50000
		कुल योग	**205000**

19 सहायक मन्दिर अधिकारी को यात्रा भत्ते के रूप में ₹2640/– का अनियमित भुगतान करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों और प्रचलित नियमानुसार सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यात्रा भत्ते दावे का भुगतान उसी कार्यालय द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है जहाँ से उनके मासिक वेतन का आहरण किया जाता है परन्तु अंकेक्षण में जाँच करने में पाया गया कि श्री कर्म चन्द, सहायक मन्दिर अधिकारी, को निम्नविवरणानुसार यात्रा भत्ते दावे का भुगतान मन्दिर न्यास द्वारा किया गया था जबकि श्री कर्म चन्द, सहायक मन्दिर अधिकारी को मासिक वेतन का भुगतान जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता था। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार उनके यात्रा भत्तें दावे का भुगतान भी जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ही किया जाना अपेक्षित था परन्तु उन्हें यात्रा भत्ते दावे का भुगतान मन्दिर न्यास द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त उनके यात्रा भत्ते दावें के बिलों में इस बारे कोई प्रमाण नहीं दिया गया था कि इन यात्रा भत्तो का कोई भुगतान जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार से नहीं किया गया है। अतः मन्दिर न्यास द्वारा सहायक मन्दिर अधिकारी को किए गए यात्रा भत्ते दावों के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अपेक्षित राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त इस मामले को जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार से भी उठाया जाए तथा भविष्य में अधिकारी/कर्मचारी को यात्रा भत्ते दावे एवं अन्य भत्ते का भुगतान उसी विभाग से किया जाना सुनिश्चित किया जाए जहाँ से उस अधिकारी/कर्मचारी के वेतन का आहरण किया जाता है।

Date	Vr. No.	Amount
18.08.2010	394	477
25.10.2010	537	127
20.12.2010	660	64
19.02.2011	883	172
24.05.2011	1107	64
10.06.2011	1202	284
23.08.2011	1377	47
22.09.2011	1465	104
23.11.2011	1661	274
21.12.2012	1799	128
22.02.2012	1964	341
21.03.2012	1999	163
28.04.2012	71	104
21.06.2012	219	86
24.08.2012	360	205
	योग	₹2640

20 विभिन्न भुगतानों को करने से पूर्व अनिवार्य औपचारिकताओं को पूर्ण न करने बारेः–

मन्दिर न्यास की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि मन्दिर न्यास के निम्न वाऊचरों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के भुगतान किए गए थे। इस भुगतानों के सम्बन्ध में उपलब्ध अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि भुगतान करने से पूर्व अनिवार्य औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया था जैसा कि कई मामलों में स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई थी तथा कई मामलों में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु मजदूरों को मस्ट्रोल द्वारा भुगतान किया गया दर्शाया गया था परन्तु मस्ट्रोल पर मजदूरों की कार्य प्रगति की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त कई निर्माण कार्यों करवाने से पूर्व खुले बाजार से निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई थी। अतः इन किए गए भुगतानों के सम्बन्ध में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

जिसे भुगतान किया गया	वा0सं0 / दिनाँक	राशि	अनिवार्य औपचारिकता जिसे पूर्ण नहीं किया गया था
श्री केशव शर्मा, HP-06-0339, 1000 बैग मिट्टी के ढुलान हेतु	810 / 01.02.11	6000	खुले बाजार से निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई थी, साथ ही अयोध्या नाथ मन्दिर के पास से मिट्टी

			निकलवा कर मिट्टी को फेंकने वाले स्थान के बीच की दूरी नहीं दर्शाई गई थी
श्री भगत सिंह शीश महल, 1000 बैग मिट्टी को ट्रक में लोड करने हेतु	811 / 01.02.11	10000	खुले बाजार से निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई थी
अयोध्या नाथ मन्दिर के पास से मिट्टी निकलवाने हेतु विभिन्न मजदूरों को भुगतान	812 / 01.02.11	12100	मस्ट्रोल द्वारा भुगतान किया गया परन्तु मस्ट्रोल पर मजदूरों की कार्य प्रगति की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी
मै0 चौधरी मल गुंगर मल सराहन। सराहन मन्दिर हेतु राशन व्यय माह 12 / 2010	832 से 835 / 05.02.11	16271	राशन सामग्री की खरीद से पूर्व खुले बाजार से निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई थी। साथ ही खरीदे गए राशन की कोई प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में की गई थी।
अयोध्या नाथ मन्दिर के पास से मिट्टी निकलवाने हेतु विभिन्न मजदूरों को भुगतान	866 / 19.02.11	6480	मस्ट्रोल द्वारा भुगतान किया गया परन्तु मस्ट्रोल पर मजदूरों की कार्य प्रगति की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी।
श्री भगत सिंह शीश महल, 1150 बैग मिट्टी को ट्रक में लोड करने हेतु	867 / 19.02.11	11050	खुले बाजार से निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई थी
श्री केशव शर्मा, एचपी–06–0339, 1000 बैग मिट्टी के ढुलान हेतु	889 / 19.02.11	6000	खुले बाजार से निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई थी, साथ ही अयोध्या नाथ मन्दिर के पास से मिट्टी निकलवा कर मिट्टी को फेंकने वाले स्थान के बीच कि दूरी नहीं दर्शाई गई थी।
मै0 एन0आर0एस0 मेन बाजार सराहन। सराहन मन्दिर हेतु राशन व्यय माह 01 / 11	896 से 900 / 22.02.11	19613	राशन सामग्री की खरीद से पूर्व खुले बाजार से निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई थी। साथ ही खरीदे गए राशन की कोई प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में की गई थी
मै0 पवन विजय रामपुर, बिल संख्या 20716 माह 12 / 12 हेतु रामपुर कर्मचारियों के राशन हेतु व्यय	661 / 14.12.12	17292	राशन सामग्री की खरीद से पूर्व खुले बाजार से निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई थी। साथ ही खरीदे गए राशन की कोई प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में की गई थी
मै0 पवन विजय रामपुर, बिल संख्या 19762 माह 11 / 12 हेतु रामपुर कर्मचारियों के राशन हेतु	647 / 05.12.12	17105	राशन सामग्री की खरीद से पूर्व खुले बाजार से निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई थी। साथ ही खरीदे गए राशन की कोई प्रविष्टि स्टॉक

व्यय			रजिस्टर में की गई थी
मै0 दीपक इलैक्ट्रिकल रामपुर, बिल संख्या 4069 दिनाँक शून्य विभिन्न इलैक्ट्रिक्ल आर्टिकल पर व्यय	666 / 18.12.12	22772	इस खरीद से पूर्व खुले बाजार से आमन्त्रित निविदाओं पर कोई तिथि लेखाँकिंत नहीं थी। साथ ही इस सामान को कहाँ लगाया गया इस समबन्ध में अभिलेख में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।
श्री बाबू राम हंस राज रामपुर, बिल संख्या 038 दिनाँक शून्य 23 किलो जाल / लड़ी का जाल / 250 प्रति किलो	671 / 18.12.12	5750	इस खरीद से पूर्व किसी खुले बाजार से निविदाये आमन्त्रित नहीं की गई। साथ की बिल पर कोई तिथि लेखाँकित नहीं थी। साथ ही इस सामान को कहाँ लगाया गया इस सम्बन्ध में अभिलेख में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।
श्री मुकेश चौहान, वकील रोहड़ू 7 cases / 3500=24500 Already Paid=15000 Balance=9500 Add: Misc.= 1000 Total= 10500	648 / 05.12. 2012	10500	3500 / – प्रति केस निर्धारण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव / आदेश वाऊचर के साथ संलग्न नहीं था। साथ ही ₹15000 का भुगतान कब–कब किया, इस तथ्य का विवरण वाऊचर में संलग्न नहीं था।
श्री नरसिंह मन्दिर रामपुर में लकड़ी के कार्य हेतु विभिन्न लकड़ी के कार्य हेतु विभिन्न मजदूरो को भुगतान	1104 / 04.06. 2013	8130	मस्ट्रोल द्वारा भुगतान किया गया परन्तु मस्ट्रोल पर मजदूरों की कार्य प्रगति की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी।
श्राई कोटी मन्दिर में स्लेट की छत के कार्य हेतु विभिन्न मजदूरों को भुगतान	1105 / 04.06. 2013	53103	मस्ट्रोल द्वारा भुगतान किया गया परन्तु मस्ट्रोल पर मजदूरों की कार्य प्रगति की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी।

21 मन्दिर न्यास द्वारा ₹1100 / – का अधिक भुगतान करने बारेः–

(क) वाऊचर संख्या 1150 से 1202 दिनाँक 25.06.2013 द्वारा ₹198010 / – का भुगतान मै0 चौधरी मल गुगंर मल सराहन को उनके बिल संख्या 101 से 155 दिनाँक 05.05.2013 से 18.06.2013 के एवज में सराहन मन्दिर में भण्डारा हेतु राशन खरीदने के लिए किया गया था। इस भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि अभिलेख में कुल ₹197410 / – के बिल उपलब्ध थे जबकि भुगतान ₹198010 / – का किया गया था। इस प्रकार (₹198010–₹197410=₹600) का अधिक भुगतान किया गया था। अतः ₹600 / – की वसूली उचित स्त्रोत से करके न्यास की निधि में जमा करवाई जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रय

करने से पूर्व खुले बाजार से निविदाऐं भी आमन्त्रित नहीं की गई थी तथा क्रय किए गए भण्डारे के सामान की कोई प्रविष्टि भी स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई थी। अतः राशन के सामान को क्रय करने से पूर्व खुले बाजार से निविदाऐं आमन्त्रित न करने तथा क्रय किए गए सामान की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करने के अतिरिक्त भविष्य में इस तरह की चूक से परिहार किया जाए।

(ख) वाऊचर संख्या 821 दिनाँक 01.02.2011 के अन्तर्गत ₹1000/– का भुगतान श्री कर्म चन्द रनौत, सहायक मन्दिर अधिकारी को देना बैंक के साथ लीज डीड टाईप करवाने के लिए किया गया दर्शाया गया था। लीज डीड टाईप के सम्बन्ध में किए गए भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि वास्तव में लीज डीड टाईप चार्जिस के लिए केवल ₹500/– का भुगतान किया गया था। इस प्रकार ₹500/– का अधिक भुगतान किया दर्शाया गया है जिसे लीज डीड टाईप करवाने के बाद मन्दिर न्यास निधि में जमा नहीं करवाया गया था। अतः ₹500/– की वसूली उचित माध्यम से करके न्यास निधि में जमा करवाई जाए तथा भविष्य में इस तरह की चूक से परिहार किया जाए।

22 निर्माण कार्य का नामः– C/O Community Hall Nursingh Mandir

संविदाकार का नामः– Sh. Vinod Kumar
Date of Allotment:- 04.12.09
चलित बिलः– 3rd Running Bill, 5th Running Bill

वाऊचर संख्या 523 दिनाँक 25.10.10 ₹1782402/–

(क) गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹14045/– का अधिक भुगतान करनाः–

उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 109 की जाँच करने पर पाया गया कि 3rd चलित बिल की कार्य मद संख्या 22 "P&L, 1:2:4 CC in Flooring" और कार्य मद संख्या 23 "Kota Stone Slab Flooring 20mm thick in 1:4" की गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को कार्य मद संख्या 23 Kota Stone Slab Flooring 20mm thick in 1:4 के लिए 12.54 वर्ग मी0 के लिए दर ₹1120/– प्रति वर्ग मी0 की दर से निम्नविवरणानुसार से कुल ₹14044.80 अर्थात ₹14045/– का अधिक भुगतान किया गया था क्योंकि कार्य मद संख्या 23 उसी स्थान पर लगनी चाहिए थी जहाँ पर कार्य मद संख्या 22 लगी थी। यदि कार्य मद संख्या 23 के अनुसार Kota Stone पहले से पड़ी किसी सलैब (Slab)

पर भी लगाया गया था तो इस तथ्य का कोई वर्णन माप पुस्तिका में दर्ज किया जाना चाहिए था जोकि निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। अतः इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम/संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए।

माप पुस्तिका का पृ0सं0	कार्य मद संख्या 22 P&L 1:2:4 CC in Flooring की मात्रा जिसके लिए भुगतान किया गया था	कार्य मद संख्या 23 "Kota Stone Slab Flooring 20mm thick in 1:4" की मात्रा जिसके लिए भुगतान किया जाना चाहिए था	कार्य मद संख्या 23 "Kota Stone slab Flooring 20 mm thick in 1:4" की मात्रा जिसके लिए भुगतान किया गया था	अधिक मात्रा
109	24x2.40x0.10=5.76	24x2.40=57.60	24x2.40=57.60	
	24x0.70x0.10=1.68	24x0.70=16.80	24.0x70=16.80	
	15.80x3.80x0.10=6.00	15.80x3.80=60.00	15.80x3.80=60.00	
	18.30x0.45x0.10=0.82	18.30x0.45=8.24	18.30x0.45=8.24	
	6.75x7.60x0.10=5.13	6.75x7.60=51.30	6.75x7.60=51.30	
	योग= 19.40m3	**योग= 193.94m2**	24x0.15=3.60	
			20.20x0.15=3.03	
			15.80x0.20=3.16	
			18.30x0.15=2.75	
			योग= 206.48m2	**12.54m2**

(ख) गलत गणना किए जाने के कारण संविदाकार को ₹10608/— का अधिक भुगतान करनाः—

उपरोक्त निर्माण कार्य की कार्य मद संख्या 16 "Providing/Fixing Steel work in Trusses, Purlines, Rafters, Post & in position" के अंकेक्षण में पाया गया कि इस कार्य मद के लिए संविदाकार द्वारा निष्पादित की गई कार्य की मात्रा में 5% wastage जमा करके अनुचित रूप से कार्य की मात्रा में बढ़ौतरी करके संविदाकार को भुगतान किया गया था जबकि कार्य अनुबन्ध में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं थी। इस प्रकार संविदाकार को कार्य की मात्रा में 5% wastage जमा दर्शा कर अनुचित रूप से कुल (1.50qtlx6800 प्रति Qtl=₹10608) का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है। अतः अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

माप पुस्तिका पृ0सं0	कार्य मद सं0 16 **"Provinding/Fixing steel work in Trusses, Purlines, Rafters, Post & in Position."**	**Qty. in Qtl**
116	वास्तविक मात्रा जिसका भुगतान संविदाकार को किया जाना चाहिए था (माप पुस्तिका गणना अनुसार)	31.27
	माप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 116 पर जो भुगतान संविदाकार को किया गया था (31.27+5% of 31.27 as wastage Charges)=1.56 Qtl)	32.83
	कुल अधिक मद संख्या 16 की मात्रा जिसका भुगतान संविदाकार को किया गया था	1.56

(ग) आंबटित रेट से अधिक दर से भुगतान करने कारण संविदाकार को ₹52528/— का अधिक भुगतान करनाः—

उपरोक्त निर्माण कार्य की कार्य मद संख्या 16 के लिए संविदाकार द्वारा ₹5200/— प्रति क्विंटल की दर रेट दिया गया था जबकि मन्दिर न्यास द्वारा संविदाकार को ₹6800/— प्रति क्विंटल से भुगतान किया गया था। अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य आंबटन के कुछ दिनों के उपरान्त ही दिनाँक 22.11.10 को मन्दिर न्यास को प्रार्थना पत्र दिया गया कि कार्य मद संख्या 16 के लिए आंबटित रेट बहुत कम है और उसे इस कार्य मद के लिए ₹6800/— प्रति क्विंटल का रेट दिया जाए जिसे मन्दिर न्यास अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया और कार्य मद संख्या 16 के लिए संविदाकार को ₹6800/— प्रति क्विंटल की दर से भुगतान कर दिया गया तथा गलत ढ़ंग से कार्य मद संख्या 16 की दर से बढ़ौतरी करके (₹6800—₹5200=₹1600) प्रति क्विंटल की दर से संविदाकार को (32.83 Qtl x₹1600=₹52528) का अनुचित भुगतान किया गया। अतः इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

23 **निर्माण कार्य का नामः— C/O Structure cum Roof at Ayodhya Nath Temple Complex**

संविदाकार का नामः—Sh. Partap Singh

Date of Allotment:— 28.06.2011

चलित बिलः— 1 से 5 Running Bill, माप पुस्तिका पृ0सं0 :— 78 से 100

वाऊचर संख्या 674 दिनाँक 18.12.2012 ₹1312468/-

इस निर्माण कार्य को दिनाँक 28.06.11 को पत्र संख्या Bhi/Ka/Trust 348 द्वारा संविदाकार को ₹837224/-में अवार्ड किया गया था। इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए संविदाकार को 2 माह का समय दिया गया था। इस निर्माण कार्य के अंकेक्षण में निम्न अनियमिततायें पाई गई।

(क) गलत दरों से भुगतान किए जाने के कारण संविदाकार को ₹323721/- का अधिक भुगतान करनाः-

इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए संविदाकार को 2 माह का समय दिया गया था जैसा कि अवार्ड पत्र में लेखाकिंत किया गया था। संविदाकार द्वारा मन्दिर न्यास कार्यालय में पत्र संख्या शून्य दिनाँक 26.03.2012 द्वारा सूचित किया गया कि "मुझे निर्माण कार्य की Detail Drawing नहीं मिलने के कारण मैं यह निर्माण कार्य 2 माह के भीतर पूर्ण नहीं कर पाया हूँ। बाजार में लोहे एवं चादरों के रेट काफी बढ़ चुके है जो रेट मैंने कार्य करने के भरे थे वह अब पर्याप्त रेट नहीं है। अतः मुझे जो रेट आजकल बाजार में चल रहे है उन रेट से भुगतान करने की कृपा करें। यदि मुझे बाजार रेट नहीं दिये जाते तो इस कार्य को करने में असमर्थ हूँ "। यह पत्र प्राप्त होने के पश्चात मन्दिर न्यास अधिकारियों द्वारा गलत ढ़ंग से रेट का निर्धारित करके संविदाकार को भुगतान कर दिया गया तथा इस प्रकार संविदाकार को कुल ₹323721/- का अधिक भुगतान किया गया जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है। यदि संविदाकार द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य 2 माह में पूर्ण नहीं किया गया था तो संविदाकार पर संविदा की Clause 2 के अनुसार जुर्माना लगाया जाना अपेक्षित था साथ ही दिनाँक 28.06.2011 से 26.03.2012 तक निर्माण कार्य की Detail Drawing की माँग न करने बारे संविदाकार से स्पष्टीकरण लेना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य की Detail Drawing की पूर्ति करने वाले अधिकारी की जिम्मेवारी भी निर्धारित की जानी चाहिए थी परन्तु ऐसा न करके मन्दिर न्यास अधिकारियों द्वारा गलत ढ़ंग से रेट का निर्धारण करके संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹323721/- का अधिक भुगतान दिया गया। अतः इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक की भुगतान की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के अतिरिक्त भविष्य में संविदा की शर्तों के अनुरूप ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

कार्य मद सं0	कार्य मद	कार्य मद की मात्रा जो 5^{th} चलित बिल तक भुगतान की गई	रेट जो अधिकृत किए गए थे	रेट जिनसे भुगतान संविदाकार को किया गया	अन्तर	कुल अधिक भुगतान	माप पुस्तिका पृ0सं0
4	Steel work in built up section in trusses	19517.18 Kg	67 per Kg	75 per Kg	8 per Kg	156137	78,82,88,95,102
5	P/F 0.60 mmThick Pre Painted Steel Sheet in roofing	500.08 Sqr.mtr.	635 per sqr mtr.	900 per sqr mtr	265 per sqr mtr	132521	83,95
6	P/F Ridges or hips 60cm overall with 0.60 mm thick Pre Painted Steel Sheet in Roof.	167.55 rmt	100 per rmt	300 per rmt	200 per rmt	33510	83,95
Extra item 16	15mm Cement Plaster in Rough Side	155.31Sqr mtr	140 per sqr mtr	150 per sqr mtr	10 per sqr mtr	1553	
		कुल अधिक भुगतान				₹323721	

(ख) अतिरिक्त कार्य मदों (Extra items) के अन्तर्गत संविदाकार को ₹1280488/– का अनुचित लाभ दिये जाने बारेः–

इस निर्माण कार्य हेतु आरम्भिक प्राकलन ₹1052805/– का अनुमोदित किया गया था। इसके अतिरिक्त Notice Inviting Tender में भी इस निर्माण कार्य हेतु Total Estimated Cost भी ₹1052805 की ही दर्शाई गई थी तथा संविदाकार के साथ ₹837224/– का कान्ट्रैक्ट एग्रीमेन्ट साईन किया गया था। अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि इस निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने के लिए संविदाकार को अतिरिक्त कार्य मदों को निष्पादित करने के लिए ₹1280488/– का भुगतान किया गया था। इन सभी अतिरिक्त कार्य मदों का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है तथा इन समस्त अतिरिक्त मदों की दरों का नियमानुसार दर निर्धारण करने के लिये Analysis of Rates भी अभिलेख में संलग्न नहीं पाये गये जबकि इन अतिरिक्त मदों की दरों का निर्धारण अनुबन्ध की क्लॉज–12 के अनुसार किया जाना चाहिये था। अतः यह प्रकरण विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि अतिरिक्त कार्य मदो ंकी भुगतान दरों के बारे में नियमानुसार विभागीय स्त्तर जाँच की जाए तथा अतिरिक्त कार्य मदों को आरम्भिक प्राकलन में शामिल नहीं किए जाने बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी निर्माण कार्य के प्राकलन में सभी सम्भावित कार्य मदों को शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा यदि निर्माण कार्यों में अतिरिक्त मदों का निष्पादन करना अनिवार्य हो तो भी अतिरिक्त कार्य मदों के रेट का निर्धारण अनुबन्ध की क्लॉज 12 के अनुसार ही निर्धारित किए जाए जाना सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

Sr. No.	Desription of Extra Item	Quantity Executed & paid	Rate	Amount	MB P.No.
1	P/F MS BP Sheet 1.66 mm to 2.00mm thick in eavesboard/facia/soffits/ceiling	98.96sqm 86.24sqm	1225 per sqm	121226 105644	82 96
2	P/F MS Sheet 1.66mm to 2.00mm thick in Eaves Board 300mm wide including cutting fixing and welding to steel roof	122.91 Rmt 83.11 Rmt	650 per mtr	79891 54021	83 96

3	P/F MS Sheet 1.66mm to 2.00mm thick both side in ornamental Facia 300mm to 750mm wide alongwith 100mm dia Ms Pipe	19.9Rmt	2160 per Rmt	42984	96 96
4	P/F 15cm wide 45cm overall semicircular plain GI sheet gutter with iron brackets 40x3mmsize bolts and nuts and eashers etc.	84.7 Rmt 61.95 Rmt	450 per Rmt	38115 27877	83 96
5	P/F plan asbestors cement sheet ceiling of approved quality with butt jointing and screws	198.18 sqm	500 per sqm	99090	96
6	Brick work using common brunt clay building bricks in superstructure.	0.644 cum 10.84cum 45.80 cum	9000 per cum	5796 97200 412200	102 95 88
7	Half Brick masonry using common brunt clay building bricks in superstructure.	20.16sqm	1050 per sqm	21168	102
8	P/F woodwork in frame of doors, windows, clerestory, windows and other frames 2nd class deodar wood	0.303 cum	82000 per cum	24846	88
9	CC florring 1:2:4 in one layer finished with a floating coat of neat Cement	98.9sqm	250per sqm	24725	102
10	S/F Rolling shutters of approved make	3.64sqm	1120 per sqm	4077	102
11	P/F 27.50 CM long wire spring grade No. 02 for Rolling Shutters	2 Nos	700 per pc	1400	102
12	P/F top cover for rolling shutters	1.4 Rmt	500 per Rmt	700	102
13	15mm cement plaster in single coat	155.31sqm 655.05 sqm 32.32sqm	140 per sqm	23296 91707 4525	88 96 102
			Total	**₹1280488**	

24 निर्माण कार्य का नामः— C/O Roof at Guffa Temple at Rampur

संविदाकार का नामः— Sh. Kewal Ram Bluni

Date of Allotment 14.09.10

चलित बिलः— 1 Running Bill

माप पुस्तिका पृ0सं0 63 से 64

वाऊचर संख्या 642 & 643, दिनाँक 15.03.2011, ₹441105/—

इस निर्माण कार्य को दिनाँक 14.09.2010 को पत्र संख्या Bhi/Ka/Trust 597- 600 द्वारा संविदाकार को ₹641954/—में अवार्ड किया गया था। इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए संविदाकार को 2 माह का समय दिया गया था। इस निर्माण कार्य की कार्य मद संख्या 2 "Providing wood work in trusses, purlins, rafters, posts, 2nd class deodar wood" के अंकेक्षण में पाया गया कि निष्पादित किए गए कार्य में कार्य की मात्रा में 10% wastage जमा करके अनुचित रूप से कार्य की मात्रा में बढ़ौतरी करके संविदाकार को भुगतान किया गया था जबकि कार्य अनुबन्ध में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं थी। इस प्रकार संविदाकार को 10% wastage का भुगतान अनुचित रूप से करके कुल (0.29m3x86000 प्रति घन मी0=₹24940) का अधिक भुगतान किया गया था जिनका का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है। अतः अधिक भुगतान को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

माप पुस्तिका पृ0सं0	**कार्य मद संख्या 2 "Providing wood work in trusses, purlins, rafters, posts 2nd class deodar wood"**	**Qty in m3**
116	वास्तविक मात्रा जिसका भुगतान संविदाकार को किया जाना चाहिए था	2.86m3
	माप पुस्तिका के पृ0सं0 116 पर जो भुगतान संविदाकार को किया गया था (2.86+10% of 0.286m3 as wastage charges)=3.146 m3 पर भुगतान के लिए मात्रा ली गई 3.15m3	3.15m3
	कुल अधिक मद संख्या 2 की मात्रा जिसका भुगतान संविदाकार को किया गया था	0.29m3

25 श्री विनोद कुमार संविदाकार को ₹505000/— का Advance प्रदान करके अनुचित लाभ देने बारे तथा दिए Advance की राशि का लेखाँकन सम्बन्धित माप पुस्तिका में न किए जाने बारेः—

निर्माण कार्य का नामः— C/O Roof at Narsingh Temple at Rampur

संविदाकार का नामः— Sh. Vinod Kumar Chauhan

Date of Allotment: 16.10.12

वाऊचर संख्या 1205 दिनाँक 27.06.13 ₹350000

वाऊचर संख्या 1372 दिनाँक 21.08.13 ₹155000

CPWD Works Manual 2003 के नियम 31.3.2 के अनुसार "The Divisional Officers can sanction the Secured Advance up to an amount not exceeding 75% of the value of the materials as assessed by the Engineer-in-Charge or an amount not exceeding 75% of the material element cost in the tendered rate of the finished item of work whichever is lower"। इस नियम के अनुसार संविदाकार/ठेकेदार को 75**%** ऑफ कोस्ट ऑफ मैटीरियल या संविदाकार/ठेकेदार द्वारा फिनिश्ड आइटम के लिए भरे गए रेट में से मैटीरियल एलीमैंट का 75% Secured Advance के रूप में प्रदान किया जा सकता है। Material Value की सत्यता हेतु Material की खरीद का बिल इत्यादि मूल रूप से अभिलेख में उपलब्ध होना चाहिए। संविदाकार को वर्ष 2013 के दौरान प्रदान किए गए Advance की जाँच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा संविदाकार को "Deodar Timber Wood" की खरीद के विरूद्ध (₹350000+₹155000=₹505000) का Advance प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त अभिलेख की पड़ताल करने पर यह भी पाया गया कि "Deodar Timber Wood" की खरीद का कोई बिल अभिलेख में उपलब्ध नहीं था जिसके अभाव में इस एडवांस की पूर्ण जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। उपरोक्त के अतिरिक्त अभिलेख की पड़ताल में यह भी पाया गया कि इस एंडवांस का कोई लेखाँकन सम्बन्धित माप पुस्तिका में नहीं किया गया था। संविदाकार को प्रदान किए गए एंडवांस का लेखाँकन सम्बन्धित माप पुस्तिका में न किया जाना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 177/2014 दिनाँक 14.10.14 द्वारा न्यास के अधिकारियों को इस भुगतान को न्यायोचित ठहराने हेतु लिखा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त नियम की अनदेखी करके (₹350000+₹155000=₹505000/–) का Advance संविदाकार को प्रदान करने और प्रदान किए गए एडवांस का लेखाँकन सम्बन्धित माप पुस्तिका में न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में संविदाकार को CPWD Works Manual 2003 के नियम 31.3.2 के अनुसार ही एडवांस दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

26 मूल औपचारिकताऐं पूर्ण किए बिना ही निर्माण कार्य करवाकर ₹293729 का भुगतान किए जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹293729/– का व्यय मन्दिर न्यास के अन्तर्गत विभिन्न मन्दिर परिसरों में विभिन्न निर्माण

कार्य करवाने हेतु किया गया था परन्तु इसके लिए मूल औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया था अर्थात करवाए गए कार्यों के लिए न तो कोई प्राकलन तैयार किए गए थे और न ही इन कार्यों से सम्बन्धित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त कार्यों की प्रगति रिपोर्ट एवं कार्यों के सन्तोषजनक पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी अभिलेख में सलंग्न नहीं पाया गया था तथा इन कार्यों को करवाने हेतु मन्दिर न्यास द्वारा पारित प्रस्तावों को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः इन मूल आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना कार्य करवाना अनियमित ही नहीं बल्कि आपत्तिजनक भी है जिस बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए तथा किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस प्रकार के सभी कार्यों को करवाने से पूर्व मूल आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण की जानी सुनिश्चित की जाए।

Sr.No.	**Name of work**	**To whom payment was made**	**Vr.No./Date**	**Amount**
1	Painting work at Saharan Mandir	M/S Mehta Haerdware Store Rampur Bill No. 004, Dt. 27.09.10, 009 Dt. 13.10.10, 003 Dt. 20.11.10, 011 dt. 07.11.10	749 dt. 18.01.11	23901
2			750 dt.18.01.11	212216
3			751 dt. 18.01.11	34242
4			752 dt. 18.01.11	2430
5	Electric work at Ayodhya Nath Mandir, Rampur	M/S Deepak Electric Rampur, Bill No. 2782 dt. Nil, 2783 dt. Nil, 2777 dt Nil, 2780 dt. Nil, 2781 Dt. Nil	982 dt. 28.03.11	8818
6			983 dt. 28.03.11	4817
7			984 dt. 28.03.11	20790
8			985 dt. 28.03.11	5480
9			986 dt. 28.03.11	38464
10	Steel Febrication at Narshing Temple Rampur	M/S Sai Enterprises Sarahan Road Jeori, Bill No. 4130 dt. 15.03.12	16 dt. 05.04.12	133561
				₹293729

27 माप पुस्तिका में लेखाँकन किए बिना ही ₹20000/– का भुगतान किए जाने बारेः–

वाऊचर संख्या 656, दिनाँक 18.12.2012, के अन्तर्गत ₹20000/– का भुगतान श्री भरत सिंह ग्राम जगोटी, रोहड़ू को 6 चाटे पत्थर @3350 की दर से निकालने व मन्दिर की छत के नीचे लगाने हेतु किया गया। नियमानुसार इस कार्य को करने से पूर्व कार्य का प्राकलन तैयार किया जाना अपेक्षित था तथा निष्पादित किए गए कार्य की प्रविष्टि माप पुस्तिका में की जानी अपेक्षित थी परन्तु इस कार्य (पत्थर निकालने एवं लगाने) हेतु भुगतान सादे कागज पर प्रविष्टि करके किया गया था। अतः बिना प्राकलन बनाए कार्य करवाने तथा कार्य की प्रविष्टि माप पुस्तिका में न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में सभी निर्माण कार्यो का भुगतान करने से पूर्व उस कार्य की प्रविष्टि माप पुस्तिका में की जानी सुनिश्चित की जाए।

28 ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों से श्रम कर की ₹58641/– की कटौती न किए जाने बारेः–

श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 1–2000(Lab.) BCWA दिनाँक 30.1.09 के अनुसार सभी निर्माण कार्यों से कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत भाग श्रम कर के रूप में ठेकेदारों से वसूल किया जाना व H.P. Building and Other Construction Workers Welfare Board में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। मन्दिर न्यास के अवधि 01/2011 से 12/2013 के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा संविदाकारों के निर्माण कार्यों के बिलों से निम्नविवरणानुसार ₹58641/– श्रम कर की कटौती नहीं की गई थी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 173/2014 दिनाँक 13.10.2014 द्वारा न्यास अधिकारियों से इस सम्बन्ध में कटौती न करने बारे में जानकारी माँगी गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उनसे इस सम्बन्ध में कोई प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः संविदाकारों के निर्माण कार्यों के बिलों से श्रम कर की कटौती न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा भविष्य में सभी निर्माण कार्यों के बिलों से श्रम कर की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of work	Name of Contractor	Date of Allotment	M.B. No. & page	Vr. No. & Date	Gross Amount of bill
C/O shoping complex (1)	Sh. Kewal Ram Bluni	28.12.10	54	733/04.01.11	519866
C/O Camunity Hall (1)	Sh. Vinod Kumar	31.01.11	59	817/01.02.11	398402

C/O Camunity Hall (2)	Sh. Vinod Kumar	10.02.11	62	861/19.02.11	130315
Repair to Toilet & Roof at Narsingh Temple Rampur	Sh. Vinod Kumar	16.02.11	62	861/19.02.11	53064
Repair of Gufa temple roof (1)	Sh. Kewal Ram Bluni	13.02.11	63	642, 643/15.03.11	441105
C/O Camunity Hall (3)	Sh. Vinod Kumar	20.02.11	65	981/26.03.11	178134
C/O Shoping Complex (2)	Sh. Kewal Ram Bluni	03.04.11	67	1031/22.04.11	498487
Repair of Gufa temple roof (2)	Sh. Kewal Ram Bluni	25.05.11	71	1133/02.06.11	42201
C/O Sharikoti Fansing work	Sh. Vinod Kumar	08.08.11	71	1356/09.08.11	97461
C/O Ayodhanath temple Complex (1)	Sh. Partap Singh Verma	08.02.12	73	1952/08.02.12	224683
C/O Ayodhanath temple Complex (2)	-do-	27.08.12	77	422/03.09.12	459244
C/O Ayodhanath temple Complex (3)	-do-	08.09.12	79	472/06.10.12	753365
C/O Ayodhanath temple Complex (4)	-do-	23.10.12	88	516/03.10.12	580274
C/O Ayodhanath temple Complex (5)	-do-	14.12.12	97	674/18.12.12	1312468
C/O Ayodhanath temple Complex (6)	-do-	27.08.13	99	1414/27.08.13	175064
C/O Ayodhanath temple Complex (7)	-do-	2013	102	74/21.04.14	87999
		Total Cost of work			**₹5864132**

29 ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों से बिक्री कर की ₹117283/– की कटौती न किए जाने बारेः–

नियमानुसार संविदाकार के निर्माण बिलों के भुगतान से 2% की दर से बिक्री कर की कटौती करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी। मन्दिर न्यास के अवधि 01/2011 से 12/2013 के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा संविदाकारों को भुगतान करते समय उनके देय भुगतान से नियमानुसार बिक्री कर की कटौती नहीं की गई थी। इस प्रकार नियमानुसार बिक्री कर की कटौती न करने के कारण मन्दिर न्यास द्वारा सरकारी कोष को ₹117282.64 की हानि पहुँचाई गई। अतः संविदाकारों के निर्माण कार्यों के बिलों से 2% की दर से बिक्री कर की कटौती न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा भविष्य में सभी निर्माण कार्यों के 2% की दर से बिक्री कर की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of work	Name of Contractor	Date of allotment	MB No. & page	Vr. No. & date	Gross amount of bill
C/O Shoping Complex (1)	Sh. Kewal Ram Bluni	28.12.10	54	733/04.01.11	519866
C/O Camunity Hall (1)	Sh. Vinod Kumar	31.01.11	59	817/01.02.11	398402
C/O Camunity Hall (2)	Sh. Vinod Kumar	10.02.11	62	861/19.02.11	130315
Repair of Toilet & roof at Narsingh Temple Rampur	Sh. Kewal Ram Bluni	16.02.11	62	861/19.02.11	53064
Repair of Gufa temple roof (1)	Sh. Vinod Kumar	13.02.11	63	642, 643/15.03.11	441104
C/O Camunity Hall (3)	Sh. Kewal Ram Bluni	20.02.11	65	981/26.03.11	178134
C/O Shoping Complex (2)	Sh. Kewal Ram Bluni	03.04.11	67	1031/22.04.11	498487
Repair of Gufa temple roof (2)	Sh. Vinod Kumar	25.05.11	71	1133/02.06.11	42201
C/O Sharikoti Fansingh work	Sh. Pratap Singh Verma	08.08.11	71	1356/09.08.11	97461
C/O Ayodhanath Temple Complex (1)	Sh. Pratap Singh Verma	08.02.12	73	1952/08.02.12	224683
C/O Ayodhanath Temple Complex (2)	Sh. Pratap Singh Verma	27.08.12	77	422/03.09.12	459244
C/O Ayodhanath Temple Complex (3)	Sh. Pratap Singh Verma	08.09.12	79	472/06.10.12	753365
C/O Ayodhanath Temple Complex (4)	Sh. Pratap Singh Verma	23.10.12	88	516/03.10.12	580274
C/O Ayodhanath Temple Complex (5)	Sh. Pratap Singh Verma	14.12.12	97	674/18.12.12	1312468
C/O Ayodhanath Temple Complex (6)	Sh. Pratap Singh Verma	27.08.13	99	1414/27.08.13	175064
C/O Ayodhanath Temple Complex (7)	Sh. Pratap Singh Verma	2013	102	74/21.04.14	87999
			Total Cost of work		**₹5864132**

30 विभिन्न प्रकार के छोटे–2 निर्माण कार्य करवाने हेतु निर्धारित दैनिक दर से अधिक दर पर भुगतान करने पर ₹11724/– का अधिक भुगतान करनाः–

वाउचर संख्या 824 दिनाँक 05.02.2011, ₹11940

वाऊचर संख्या 891, दिनाँक 22.02.2011, ₹4500

वाऊचर संख्या 1103, दिनाँक 04.06.2013, ₹33900

मन्दिर न्यास द्वारा वाऊचर संख्या 824, दिनाँक 5.02.2011 द्वारा ₹11940, वाऊचर संख्या 891, दिनाँक 22.02.2011 द्वारा ₹4500 तथा वाऊचर संख्या 1103, दिनाँक 04.06.2013 द्वारा ₹33900 का भुगतान विभिन्न कार्यों हेतु किया गया था। इन भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा मजदूरों को अधिक दरों से दैनिक भुगतान किया गया था। इस प्रकार अधिक दैनिक दरों से भुगतान करने के कारण निम्नविवरणानुसार कुल ₹11724/– का अधिक भुगतान किया गया था।

Vr.No. & Dt.	Name of person to whom payment was made	Name of work	Month for which payment was made	Total No. of day for which payment as made	Rate of daily wage given	Rate of daily wage admissible	Excess payment per day	Total excess payment
824 & 05.02.11	Sh. Sher Singh, Carpenter	विभागीय कार्य	01/11	26	199	129	70	1820
824 & 05.02.11	Sh. Ishwar, Carpenter	–यथोपरि–	01/11	26	199	129	70	1820
824 & 05.02.11	Sh. Surat Ram, Carpenter	–यथोपरि–	01/11	8	199	129	70	560
891 & 22.02.11	Sh. Salim Painter	नरसिंह मन्दिर सराहन में पेटिंग के कार्य हेतु	01/11	18	250	132	118	2124
1103 & 04.06.13	Sh. Ram Rattan, Cook	सराहन मन्दिर में	05/13	27	300	150	150	4050

	Sh. Lakshmi Narain, Cook	भण्डारा बनाने हेतु	05/13	27	175	150	25	675
	Sh. Vam Dev, Cook		05/13	27	175	150	25	675
							Total	**₹11724**

अतः अधिक भुगतान की गई ₹11724/- की वसूली उचित माध्यम से करके न्यास की निधि में जमा करवाई जाए। इसके अतिरिक्त नरसिंह मन्दिर के पेटिंग तथा सराहन मन्दिर में भण्डारा निर्माण कार्य हेतु किये गये भुगतान में यह भी पाया गया कि इस कार्य हेतु मस्ट्रोल इत्यादि जारी नहीं किए गए थे तथा इन कायों को किस तिथि से शुरू किया गया और किस तिथि को समाप्त किया गया, इस सम्बन्ध में कोई विवरण भुगतान वाऊचर में नहीं दिया गया था। अतः भविष्य में इस तरह की चूक से परिहार किया जाए और भुगतान से सम्बन्धित पूर्ण विवरण भुगतान वाऊचर में दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

31 निक्षेप निर्माण कार्य हेतु जमा करवाई गई ₹656605/- के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्ण करने से प्रमाण पत्र प्राप्त न करनाः-

अंकेक्षण के दौरान जाँच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित राशियों का भुगतान वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता विद्युत मण्डल रामपुर को किया गया था। परन्तु सम्बन्ध में न तो सम्बन्धित विभाग से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए और न ही कार्य पूर्ण करने के प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए, जिसके अभाव में भुगतान की गई राशि की उपयोगिता की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित विभाग से उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा कार्य पूर्ण करने के प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाए और इन प्रमाण पत्रों को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे भुगतान की गई राशि की उपयोगिता की पुष्टि की जा सके।

वा0सं0	दिनाँक	राशि	भुगतान का उद्देश्य	
1902	02.02.12	656605	Cost of 100KV Station	472811
			Cost of HT & LT	112748
			Total	**585559**
			Add: Departmental Charges @ 11%	64411
			Service Tax	6635
			Grand Total	**₹656605**

32 हिमाचल प्रदेश सरकार की द्वारा मन्दिर प्रबन्धन व्यवसाय बारे दिनाँक 02.08.2008 को लिए गए निर्णयों को लागू करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मन्दिर प्रबन्धन की व्यवस्था बारे दिनाँक 02.08.08 को लिए गए निर्णयों को श्री भीमा काली जी एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास रामपुर में लागू नहीं किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(क) मन्दिरों की Balance Sheet तो Chartered Accountant से तैयार करवाई जा रही है परन्तु मन्दिरों की सम्पत्ति, देनदारियों इत्यादि का पूर्ण विवरण इन Balance Sheet के साथ उपलब्ध नहीं था।

(ख) मन्दिरों की सम्पत्ति की वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापना (Annual Physical Verification) आयुक्त मन्दिर द्वारा नहीं करवाई गई थी।

(ग) वर्ष 2011, 2012, 2013 के लिए मन्दिर न्यास का वार्षिक बजट तैयार नहीं किया गया था।

उपरोक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 35 में इस सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु वर्तमान समय तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। अतः यह मामला पुनः उच्च अधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाए तथा उपरोक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में ठोस कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

33 स्टॉक एवं स्टोर का लेखा ठीक ढ़ंग से न रखे जाने बारेः–

स्टॉक एवं स्टोर से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि सम्बन्धित अभिलेखों का नियमानुसार रख रखाव नहीं किया गया था। अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान क्रय किए गए विभिन्न सामान की प्रविष्टियाँ भी स्टॉक एवं स्टोर पंजिका में लेखाँकित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त स्टॉक रजिस्टर में की गई सामान की प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 36 (क) में भी आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु वर्तमान समय तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। अतः यह मामला पुनः उच्च अधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि नियमानुसार स्टॉक एवं स्टोर का लेखा बनवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

34 चल–अचल सम्पत्ति रजिस्टरों का रख–रखाव न किया जानाः–

Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 की धारा 6 (1) (डी) के अन्तर्गत न्यास द्वारा अधिग्रहित समस्त मन्दिरों के सम्बन्ध में अधिग्रहण के समय तथा अधिग्रहण के बाद अधिग्रहित मन्दिर की चल सम्पत्ति जैसा कि सोना, चाँदी मूर्तियों, आभूषण, महंगे स्टोन (पत्थर) एवं नगीने, बर्तन तथा दूसरी चल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण, वजन एवं मूल्यांकन सहित तैयार जाना अपेक्षित था जबकि मन्दिर न्यास द्वारा केवल कुछ अधिग्रहित मन्दिरों जैसा कि भीमाकाली जी सराहन मन्दिर का ही चल सम्पत्ति रजिस्टर तैयार किया गया था तथा अन्य अधिकतर अधिग्रहित मन्दिरों की चल सम्पत्ति का कोई लेखाँकन इस रजिस्टर में नहीं किया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त इस अधिनियम की धारा 6 (1) (ई) के अन्तर्गत अधिग्रहित मन्दिर की अचल सम्पत्ति का पूर्ण ब्यौरा भी अचल सम्पत्ति रजिस्टर में लेखाँकित किया जाना अपेक्षित था परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा अधिगृहित मन्दिरों की अचल सम्पत्ति का ब्यौरा लेखाँकित नहीं किया गया था। अतः मन्दिर न्यास द्वारा धारा 6 (1) (डी) (ई) के अन्तर्गत चल–अचल सम्पत्ति का पूर्ण ब्यौरा लेखाँकित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है मन्दिर न्यास द्वारा अधिगृहित विभिन्न मन्दिरों की चल अचल सम्पत्ति का पूर्ण ब्यौरा शीघ्र अतिशीघ्र तैयार किया जाए, इस पूर्ण ब्यौरे को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

35 कर्मचारियों के सेवा से सम्बन्धित नियम इत्यादि का न बनवाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास में कार्यरत्त कर्मचारियों के सेवा से सम्बन्धित नियम तथा वेतन भत्ते इत्यादि की अदायगी बारे कोई नियम नहीं बनाए गए है। सेवा नियमों की अनुपस्थिति में देय अवकाश, वार्षिक वेतन वृद्धि इत्यादि की सत्यता की पड़ताल नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 37 में भी आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु वर्तमान समय तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। अतः यह मामला पुनः उच्च अधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के सेवा नियम बनाए जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

36 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई। लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया है।

37 **निष्कर्ष :–** लेखों में सुधार की अति आवश्यकता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएं।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)204/99–खण्ड–3–941–945, दिनांक, 25. 02.15 शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है :–

पंजीकृत :–1. मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास भीमाकाली जी सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2. उपायुक्त शिमला जिला शिमला हिमाचल प्रदेश
3. निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग, हि0प्र0 शिमला–9
4. अवर सचिव (भाषा), हि0प्र0 सरकार, शिमला–2
5. श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी द्वारा.......................

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट "A" पैरा संख्या 1 (ग)

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 6.10.1986 से 31.12.1999			
क्र0सं0	पैरा संख्या	विवरण	टिप्पणी
1	6	अनिर्णीत	
2	7	अनिर्णीत	
3	37	अनिर्णीत	
4	39	अनिर्णीत	
5	45	अनिर्णीत	
6	46	अनिर्णीत	
7	47	अनिर्णीत	
8	48	अनिर्णीत	
9	49	अनिर्णीत	
10	50 (ख)	अनिर्णीत	
(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन 01.01.2001 से 31.12.2001			
क्र0सं0	पैरा संख्या	विवरण	टिप्पणी
1	8 (1)	अनिर्णीत	
2	8 (2)	अनिर्णीत	
3	19	अनिर्णीत	
(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2002 से 31.12.2004			
क्र0सं0	पैरा संख्या	विवरण	टिप्पणी
1	5	अनिर्णीत	
2	10	निर्णीत	(₹1165 रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 23 दिनाँक 02.05.2012 के अनुसार मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाई गई)
3	14	अनिर्णीत	
4	16	अनिर्णीत	

5	18	निर्णीत	(₹591 रसीद संख्या 15197 दिनाँक 17.10.14 द्वारा मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाई)
6	20 (क)	निर्णीत	(₹557 दिनाँक 15.05.2012 को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 27 के अनुसार मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाई गई)
7	24 (1)	अनिर्णीत	
8	24 (2)	अनिर्णीत	
9	24 (3)	अनिर्णीत	
10	24 (4)	अनिर्णीत	
11	25	अनिर्णीत	
12	26	अनिर्णीत	
13	27 (ख)	अनिर्णीत	
14	29	अनिर्णीत	
(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2005 से 31.12.2005			
1	6(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत	
2	12 (ख)	अनिर्णीत	
3	13 (1)	अनिर्णीत	
4	13 (2)	अनिर्णीत	
5	13 (3)	अनिर्णीत	
6	14 (क)	अनिर्णीत	
7	16(क)(ख)(ग)	निर्णीत	(16 (क) ₹800 रसीद संख्या 15198 दिनाँक 17.10.2014 के अनुसार मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाई गई)
			(16 (ख) ₹200 रसीद संख्या 15198 दिनाँक 17.10.2014 के अनुसार मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाई गई)
			(16 (ग) ₹100 रसीद संख्या 15198 दिनाँक 17.10.14 के अनुसार मन्दिर न्यास निधि में जमा

			करवाई गई)
8	17 (ग)	अनिर्णीत	
9	19 (ङ)	अनिर्णीत	
(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2006 से 31.12.2010			
क्र0सं0	**पैरा संख्या**	**विवरण**	**टिप्पणी**
1	3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क वाऊचर संख्या 1309, बैंक ड्राफ्ट संख्या 136128 दिनाँक 16.07.2011 द्वारा प्रेषित किया गया)
2	4 (क)	अनिर्णीत	
3	4 (ख)(ग)	निर्णीत	(4 (ख) वर्तमान स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
			(4 (ग) वर्तमान स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
4	5	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
5	6	अनिर्णीत	
6	7 (क)(ग)(घ)	अनिर्णीत	
7	7 (ख)	निर्णीत	(₹200 रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 23 दिनाँक 02.05. 2012 के अनुसार मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाई गई है)
8	8 (क)(ख)	अनिर्णीत	
9	8 (ग)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई के पश्चात)
10	9	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
11	10	अनिर्णीत	
12	11	अनिर्णीत	
13	12	अनिर्णीत	
14	13 (क)(ख)	निर्णीत	(13 (क) ₹443 रसीद संख्या 15199 दिनाँक 17. 10.14 के अनुसार मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाई गई हैं)
			(13 (ख) ₹340 रसीद संख्या 15199 दिनाँक 17. 10.14 के अनुसार मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाई गई है)
15	14	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई के पश्चात)
16	15	अनिर्णीत	
17	16	अनिर्णीत	

18	17	अनिर्णीत	
19	18 (क)(ख)	अनिर्णीत	
20	18 (ग)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई के पश्चात)
21	18 (घ)	अनिर्णीत	
22	19	अनिर्णीत	
23	20	निर्णीत	(₹11581 की कटौती/वसूली संविदाकार के बिल से दिनाँक 23.07.2012 के अनुसार की गई)
24	21	निर्णीत	(₹4000 की कटौती/वसूली संविदाकार के बिल से दिनाँक 23.07.2012 के अनुसार)
25	22	निर्णीत	(₹13371 रसीद संख्या 14525 दिनाँक 08.06. 2012 के अनुसार मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाई गई है)
26	23	निर्णीत	(₹7000 की कटौती/वसूली संविदाकार के बिल से दिनाँक 23.07.2012 के अनुसार की गई)
27	24 (क)(ख)	अनिर्णीत	
28	25	अनिर्णीत	
29	26(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत	
30	27 (क)(ख)	अनिर्णीत	
31	28	अनिर्णीत	
32	29 (क)	निर्णीत	(₹224 रसीद संख्या 14504 दिनाँक 17.04.2012 के अनुसार मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाई गई है)
33	29 (ख)	अनिर्णीत	
34	30(क)(ख)(घ)	अनिर्णीत	
35	30 (ग)	निर्णीत	(₹6920 की वसूली वेतन बकाया वाऊचर संख्या 507 दिनाँक 18.10.2012 से की गई)
36	31	अनिर्णीत	
37	32	अनिर्णीत	
38	33	अनिर्णीत	
39	34	अनिर्णीत	
40	35	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
41	36 (क)	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
42	36(ख)(ग)(घ)(ङ)	अनिर्णीत	
43	37	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)

(च) उप निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की 01.06.11 तथा 02.06.11 को निरीक्षण रिपोर्टः— मद संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6

अनिर्णीत पैरों का सार	पैरे	मदें
गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार अनिर्णीत पैरे	79	—
वर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे+उप—निदेशक की 1.6.11 व 2.6.11 की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार अनिर्णीत मदें	(+)33	(+) 6
वर्ष अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	(—)22	—
अन्तशेष (दिनाँक 31.12.13 तक)	90	6